सत्यमेव जयते

Ministry of Environment Forest & Climate Change

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण

(पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त व सांविधिक बॉडी)

वार्षिक प्रतिवेदन

2015 - 16

इस प्रकाशन का एलक्ट्रानिक रूप
www.nbaindia.org
में उपलब्ध है

प्रकाशक

jk"Vh; tofofo/krk ikf/kdj.k
पॉंचवीं मंजिल, टीआईसीईएल बयो पार्क,
सीएसआईआर रोड
तरमणि, चेन्नई 600 113
तमिलनाडु, भारत
दूरभाष : +91 44 2254 1075 | 2254 2777
फेक्स : +91 44 2254 1200
ई मेल: secretary@nba.nic.in
वेबसाइट: www.nbaindia.org

डिजाइन व लेआउट
f'kMh lkÃ fMtkbu

फोटो
f'kMh lkÃ fMtkbu

मुद्रण:
f'kMh lkÃ fMtkbu
एमआईजी H4/4, I मेईन रोड, तिरुवल्लुवर नगर,
तिरुवान्मियूर, चेन्नई - 600 041.
सेल : 93815 76696, 93805 73331
ई–मेल : shridisaidesignadyar@gmail.com

सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन

2015 - 16

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण

(पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त व सांविधिक बॉडी)

5th Floor, TICEL Bio Park, CSIR Road, Taramani,
Chennai - 600 113.

Dr. B.Meenakumari
Chairperson,
National Biodiversity Authority

सत्यमेव जयते

प्राक्कथन

जैसे कि यह विश्वास किया जाता है कि जैवविविधता की हानि के लिए जलवायु परिवर्तन मुख्य कारक बन सकता है, जलवायु परिवर्तन तथा जैवविविधता के बीच जुडाव पर अधिक जोर नहीं दे सकते हैं, पर यह भी खूब समझा गया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को जैवविविधता कम कर सकता है। एक पारिस्थितिकीय अभिगम अब की आवश्यकता है जहॉ संसाधनों के पारिस्थितिकी, सामूहिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मूल्यों के परिरक्षण में जैवविविधता परिरक्षण और पारिस्थितिकी आधारित अपनापन भी सहायता कर सकता है। कई दुर्लभ तथा आंषिकृत समूह के बहुत ही भेद्य आवासों में रहते हुए, जीविका के लिए पारिस्थितिकी पर निर्भर सांस्कृतिक विविधता के अधिकतम जनसंख्या, पारिस्थिति के विविध रेंज, आणुवंशिक तथा प्रजाति स्तर के उच्च विविधता उपलब्ध भारत जैसे देश में जैवविविधता परिरक्षण अतिमुख्य है।

1992 में जैविक विविधता कन्वेन्शन के परिणामस्वरूप, जैवविविधता को परिरक्षण करने, जैवविविधता का संधारणीय तौर पर उपयोग किये जाने तथा लाभों के न्यायसंगत आबंटन संबंधित दायित्व के साथ, इसे करने के लिए कानून तथा नियम को अधिनियमित करने में भारत अग्रणी रहा है। इसके परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने जैवविविधता अधिनियम को 2002 में तथा नियम को 2004 में अधिनियमित किया। ऐसे, 2003 में, केन्द्रीय, राज्य तथा क्षेत्रीय स्तरों में तीन स्तरीय तरीके में विकेन्द्रीकृत तरीके में बीडी अधिनियम तथा नियम को कार्यान्वयन करने के लिए, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) को स्थापित किया गया।

2015–16 वार्षिक प्रतिवेदन एनबीए के कार्यों को दस्तावेजीकृत करता है और राज्य जैवविविधता बोर्ड (एसबीबी) और जैवविविधता प्रबंधन समिति(बीएमसी) के जरिये राज्य तथा क्षेत्रीय स्तर में पूर्ति किये गये विशिष्ट कार्यों को हाइलाइट करता है। मुख्य निर्णयों, नेटवर्क, भागीदारी तथा परियोजनाओं को भी प्रतिवेदित किया गया है।

पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, प्राधिकरण के सदस्य, विभिन्न विशेषज्ञ समितियों के सदस्यों को बीडी अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधित कार्यों को तथा सांविधिक गतिविधियों को पूर्ण करने में एनबीए को उनसे प्रदत्त समर्थन तथा मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करना चाहॅूगी।

एनबीए के अधिकारी तथा कर्मचारियों को उनके कार्यों के लिए अपना प्रशंसा प्रकट करना चाहॅूगा तथा एनबीए के कर्मचारियों तथा अन्यों को जिन्होंने इस वार्षिक प्रतिवेदन 2015–16 प्रकाशित करने में सहायता प्रदान किया, को अपना हृदयपूर्वक धन्यवाद प्रकट करना चाहॅूगी।

Dr. B.Meenakumari
Chairperson, NBA

सत्यमेव जयते

T. Rabikumar, IFS
Secretary,
National Biodiversity Authority

अभिस्वीकृति

2015–16 वर्ष के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन को जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार संकलित किया गया है। जैवविविधता नियमों के कार्यान्वयन की ओर एनबीए की विशिष्ट उपलब्धि को इस प्रतिवेदन हाइलाइट करता है। इस वार्षिक प्रतिवेदन में राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा अपनाये गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध है।

मैं अध्यक्ष, एनबीए को जिनके सलाह, प्रोत्साहन तथा ज्ञान ने दक्ष तथा प्रभावी रूप से वर्ष के लिए लक्ष्यों तथा कार्य योजनाओं की उपलब्धि में हमें समर्थन प्रदान किया अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा।

जैविक विविधता अधिनियम के प्रावधानों की सफलतापूर्वक कार्यान्वयन की ओर निरंतर मार्गदर्शन, समर्थन और सलाह के लिए पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा। मैं प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेषज्ञ समितियों को सचिवालय के कार्य की ओर उनके मूल्यवान सहायता, समर्थन तथा मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा।

इस वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करने में अध्यक्ष, एनबीए और राज्य जैवविविधता बोर्ड के सदस्य सचिवों के उनकी मार्गदर्शिय भूमिका को अभिस्वीकृत करता हूँ। अंत में, एनबीए सचिवालय के सभी अधिकारी तथा कर्मचारियों को इस वार्षिक प्रतिवेदन संकलन तथा प्रकाशन की ओर उनकी प्रयत्नों के लिए आभार प्रकट करता हूँ ।

T. Rabikumar
Secretary, NBA

विषयवस्तु

अध्याय सं	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	कार्यपालक सार	9
2.	प्रस्तावना	13
3.	प्राधिकारी का गठन	17
4.	प्राधिकारी बैठकें	19
5.	प्राधिकारी द्वारा गठित समितियाँ और उसकी गतिविधियाँ	23
6.	जैविक संसाधनों से अभिगम को तथा उचित तथा न्यायसंगत लाभ आबंटन के लिए गतिविधियॉ	29
7.	एनबीए द्वारा प्रदत्त अनुमोदन	31
8.	आनुवंषिक संसाधन तथा संबंधित ज्ञान से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंध में अपनाये गये कदम	35
9.	राज्य जैवविविधता बोर्डों का कार्यक्रम व गतिविधियॉ	37
10.	गतिविविधॉ व उपलब्धियॉ	53
11.	कानूनी व नियंत्रणीय रूपरेखा का पुनरीक्षण	59
12.	प्राधिकारी का वित्त व लेखा	60
13.	वर्ष का वार्षिक योजना	63
14.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	65

अनुलग्नक

अनुलग्नक – 1	71
अनुलग्नक – 2	73
अनुलग्नक – 3	76
अनुलग्नक – 4	77

अध्याय 1

कार्यपालक सार

जैवविविधता परिरक्षण से संबंधित भारत के वर्तमान योजनाओं में जैवविविधता की परिरक्षण तथा संधारणीय प्रबंधन का परंपरागत प्रकृति प्रतिबिंबित होती है। केन्द्रीय सरकार के सलाहकारी भूमिका के साथ, प्रत्येक राज्य और संघ राज्य के वन विभाग के तहत, एकल प्रशासनिक संस्था के अधीन परंपरागत तौर पर जैवविविधता (वनवस्पति और जीव) व्यवस्थित था। 1992 में रियो में जैवविविधता पर युनाईटेड नेशन्स कन्वेंशन (सीबीडी) के बाद, भारत सरकार ने भारत में जैवविविधता अधिनियम, 2002 तथा जैवविविधता नियम, 2004 को जैवविविधता परिरक्षण, जैवविविधता के अंगों का संधारणीय उपयोग, जैवविविधता के उपयोग में से प्राप्त लाभों के न्यायसंगत आबंटन जैसे उद्देश्यों के साथ अधिनियमित किया। (एमओईएफ, 2006)। आगे, इस कारण से तीन स्तरों में कार्यालयीन एन्टाईटियों को प्रारंभ करना पडा – क्षेत्रीय ग्रामीण स्तर में जैवविविधता प्रबंधन समितियॉ (बीएमसी), राज्य स्तर में राज्य जैवविविधता बोर्ड (एसबीबी); तथा एक राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए)। इस अधिनियम बीएमसी, एसबीबी और एनबीए के अधिकार तथा सीमाओं को और जैवविविधता के संधारणीय उपयोग के लिए, लाभों के आबंटन के लिए नियम और विनियम को, जैव विविधता से संबंधित परंपरागत, पारिस्थितिकीय तथा वैज्ञानिक ज्ञान को स्पश्ट करता है।

जैवविविधता परिरक्षण, उसके भागों का संधारणीय उपयोग तथा जैविक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों का न्यायसंगत आबंटन, गतिविधियों को नियंत्रित करना तथा जैवसंसाधनों से अभिगम के लिए मार्गदर्शिका जारी करना और जैविक विधिता अधिनियम की धारा 3, 4 और 6 के साथ अनुपालन में उचित तथा न्यायसंगत लाभ आबंटन तथा भारत से प्राप्त किसी जैविक संसाधन पर भारत के बाह्य देश में बौदिधक संपदा अधिकार प्रदान करने के विरुद्ध आव यक कदम लेना या भारत में से गैर–कानूनी तौर पर प्राप्त जैविक संसाधन के साथ संबंधित ज्ञान पर भारत सरकार को सलाह प्रदान करना एनबीए के लिए अधिदेश है। एनबीए द्वारा एसबीबी और बीएमसीयों को तकनीकि मागदर्शन तथा वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है और ऐसे बीडी अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को विकसित करने में मुख्य भूमिका निभा रहा है।

वर्तमान प्रतिवेदन व्यापक तौर पर वर्ष 2015–16 के दौरान अपनाये गये गतिविधियों तथा उपलब्धियों के साथ व्यवहार करता हैं

एनबीए – के कार्यों को रूप देने में सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों द्वारा इनपुट तथा मार्गदर्शन के साथ, वर्ष 2015–16 के दौरान पॉच प्राधिकरण बैठकें आयोजित

किया गया था। मुख्य विचार विमर्श में आवेदन के ऑनलाइन समर्पण और ऑफलाइन प्रक्रियाकरण के लिए कुल माड्यूल विकसित करने हेतु एनआईसी के लिए प्रस्ताव, कोर विशेषज्ञ दल द्वारा विकसित अभिहित खजाना के लिए मागदर्शिका, अभिगम तथा लाभ आबंटन पर नगोया प्रोटोकॉल को कार्यान्वयन करने के लिए अधिसूचनाएँ/ आदेश तथा इन्टर्न के लिए अवसर प्रदान करना आदि सम्मिलित था। एनबीए द्वारा गठित विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञ समितियॉ (ईसी) वर्ष के दौरान कई बार मिले और सिफारिशे सुझावित किये। जैवविविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) पर ईसी, गैर सरकारी संगठन सम्मिलित करके विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श में बीएमसी के प्रचालनीकरण पर मार्गदर्शिका को पुनरीक्षण करने के लिए मिले। चिकित्सीय पाघों पर ईसी, जिन्हें पुनःगठित किया गया था, खतरे आकलन रणनीतियों पर, डीजीएफटी द्वारा जारी निर्यात के लिए नकारात्मक सूची पर और जन जैवविविधता पंजियों के जरिये दस्तावेजीकृत चिकित्सीय पौधों से संबंधित परंपरागत ज्ञान को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार–विमर्श किया। वर्ष के दौरान, अभिगम तथा लाभ आबंटन (एबीएस) पर ईसी छः बार आयोजित था और एबीएस पर 300 आवेदनों का मूल्यांकन किया गैर भारतीय जैविक संसाधन अभिगम, जैविक संसाधनों को उपयोग किये बिना विकसित ढॉचा के दावा पर बीडी अधिनियम की प्रयोज्यता तथा अग्रिम भुगतान आरोपित करने के लिए तौर–तरीकों पर तकनीकि–कानूनी इनपुट प्रदान किया।

इस अवधि के दौरान, 349 आवेदनों को प्राप्त किया गया, जिसमें में 231 को सभी विषयों में पूर्ण पाया गया, जिसमें से 2015–16 के दौरान 85 समझौते हस्ताक्षरित हुई है। एनबीए द्वारा लाभ आबंटन के रूप में रु.16.51 करोड प्राप्त किया गया जो सफल विदेशी खरीददारों से लाल सेन्डर्स लकडी के अभिगम की ओर नीलामी दाम का 5 प्रतिशत है।

भारतीय अनुसंधानदाता/वैज्ञानिक द्वारा गैर–भारतीय संस्कृति में लघु आर्गनिसमों को जमा करने के लिए सूचना प्रदान के लिए एनबीए द्वारा प्रारूप सी प्रस्तावित किया गया।

अधिनियम तथा नियमों के कार्यान्वयन में राज्य जैवविविधता बोर्ड (एसबीबी) मुख्य भूमिका निभाते हैं। मार्च 31, 2016 को, भारत में सभी 29 राज्यों में एसबीबीयों को स्थापित किया गया है। एसबीबी की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियों को, जैवविविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के जरिये अधिनियम की क्षेत्रीय स्तर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए, अधिनियम में स्पष्ट किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य विशिष्ट नियमों को 22 एसबीबीयों द्वारा अधिसूचित किया गया है और 7 एसबीबी वर्तमान में नियमों के लिए अंतिम रूप दे रहे है। एसबीबीयों के प्रभावी कार्यचालन सुनिि चत करने के लिए, एनबीए ने लक्षित कार्यक्रमों के जरिये एसबीबीयों को तकनीकि, विधि, वित्तीय तथा रणनैतिक समर्थन प्रदान करना भुरू किया है। अब तक, भारत भर में 2844 जन जैवविविधता पंजीयों को तैयार किया गया है। वर्ष 2015–16 के दौरान, 325 बीएमसों के गठन तथा सात एसबीबीयों में 124 पीबीआरों की तैयारी के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान किया है। एसबीबीयों के सुदृढीकरण के लिए,

विभिन्न अंशों के अधीन, एनबीए ने रु.2.96 करोड विमोचन किया है। एसबीबी संबंधित डेलिवरेबलों के हाइलाईटों में, जागरूकता उत्पादन के लिए क्षेत्रीय भाशाओं में सामग्री विकास, जैवविविधता परिरक्षण पर पोस्टर और बेनरं का प्रदर्शन, बीडी अधिनियम आदि के संवेदीकरण पर कार्यशालाओं का आयोजन सम्मिलित है। उन्हें विमोचन किये गये अनुदान के साथ, भारत में 26 एसबीबीयों द्वारा ''संधारणीय विकास के लिए जैवविविधता'' थीम पर अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस मनाया गया। सभी हितधारकों के उत्साहपूर्ण प्रतिभागिता के साथ श्रीनगर, जम्मु और कश्मीर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस का राष्ट्रीय स्तर समारोह मनाया गया।

एसबीबी और बीएमसी स्तरों में, एबीएस प्रावधानों को कार्यान्वयन करने से संबंधित केन्द्रीकृत क्षमता निर्माण गतिविधियों को पाने के लिए, एमओईएफऔरसीसी के समर्थन के साथ एनबीए ने आन्ध्र प्रदेश, गोआ, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, ओडिसा, सिक्किम, तेलुगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जैसे दस राज्यों में यूएनईपी वैश्विक पर्यावरण सुविधा के अधीन राष्ट्रीय स्तर एबीएस को कार्यान्वयन किया है। जैवविविधता नीति तथा विधि के लिए केन्द्र (सीईबीपीओएल) ने संस्थानीय मेकनिसम तथा उसमें अनुभव के बारे में गहरे रूप से समझने के लिए जून 15– जून 19,2016 के दौरान नार्वे में अध्ययन दौरा अपनाया। भारत में प्राकृतिक इन्डेक्स पर पाइलेट अध्ययन के विकास के संबंध में ओडिशा में जनवरी 27, 2016 को कार्यक्रम स्टीरिंग समिति (पीएससी) का तृतीय बैठक आयोजित था जिसके अलावा, जनवरी 28–29, 2016 के दौरान कार्यशाला भी आयोजित किया गया था। सीबीडी के लिए 11वीं कांफरेन्स ऑफ पार्टी (सीओपी) के सिफारिशों पर, 31 देशों में जैवविविधता वित्तीय पहलु (बयोफिन) नामक नया वैश्विक पहलु, युनाईटेड नेशन डेवलेप्मेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी) द्वारा पाइलेट किया गया है। 2015–16 के दौरान बयोफिन के तकनीकि सलाहकार दल का प्रथम बैठक आयोजित था। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान ऐची जैवविविधता लक्ष्य 11 और 12 की उपलब्धि पर 'दक्षिण, केन्द्रीय तथा पश्चिम एशिया के लिए क्षमता निर्माण ' पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने में एनबीए ने एमओईएफ और सीसी को समर्थन प्रदान किया।

इस प्रतिवेदन में वार्षिक लेखा 2015–16 तथा वार्षिक योजना 2016–17 को भी विस्तार किया गया है।

अध्याय 2

प्रस्तावना

संवृद्ध जैविक विविधता प्रोफाइल तथा जैवसंसाधनों के संबंध में परंपरागत ज्ञान के साथ, भारत को अपने बहुमूल्य जैवविविधता को सुरक्षा प्रदान करना अनिवार्य हो गया है। इस ओर, जैवविविधता के परिरक्षण के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं के लिए भारत अग्रणी रहा है जिसमें अतिमुख्य रहा रियो में जैविक विविधता पर युनाईटेड नेशन्स कन्वेंशन 1992। जैवविविधता को मानव के सामान्य चिंता का विषय माना जाता है और जैविक विविधता और उसके अंशों के पारिस्थितिकीय, अनुवंशिक, सामूहिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, भौक्षिक, सांस्कृतिक, मनोरजक तथा सौंदर्यपरक मूल्यों के मुख्यता पर जोर दिया गया। मुख्यतः इस कन्वेंशन जैविक विविधता के परिरक्षण, उसके भागों का संधारणीय उपयोग तथा अनवुषिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों का उचित तथा न्यायसंगत आबंटन को हस्ताक्षरकर्ता देशों के राष्ट्रीय दायित्व के रूप में लाकर, संधारणीय विकास की ओर विश्व की सुपुर्दगी का संकेत दिया है।

कुछ मुख्य बिन्दुओ में वन प्रजातियों के आवास को पहचानने तथा उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की ओर प्रत्येक देश की जिम्मेदारी सम्मिलित था, क्योंकि खाने, प्रजनन करने, अपने छोटे को पालन करने और जीवित रहने के लिए आवास ही मुख्य है। जैवविविधिता परिरक्षण को प्राकृतिक संसाधनों को मात्र परिरक्षण नहीं करना है, बल्कि तथ्य की ओर संवेदनशील रहना है कि कई देशीय और क्षेत्रीय समूह एक परंपरागत जीवनशैली का अनुपालन करते है, जो अधिकतम जैविक तथा प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर है। जैवविविधता तथा परंपरागत ज्ञान की हानि संबंधित जोखिम के साथ, जैवविविधता को समझने, परिरक्षण करने तथा संधारणीय उपयोग करने संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकि तथा संस्थानीय क्षमताओं को आगे विकसित करने की सख्त जरूरत है। जैवविविधता को परिरक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग आवश्यक है। इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि विकसित होनेवाले देशों में ही अधिकतम जैवविविधता घटित होती है, पर उनकी जैवविविधता को उपयोग करने के लिए दक्ष प्रौद्योगिकी की अभाव है, विकसित देशों से विकास होनेवाले देशों को प्रौद्योगिकी अंतरण की आवश्यकता है। इसे भी मान्यता प्रदान किया गया कि आर्थिक तथा सामूहिक विकास और गरीबी उन्मूलन ही विकसित होनेवाले देशों के लिए प्रथम तथा अधिमान्यतावाले तथ्य है, क्योंकि गरीबी तथा दुर्बल सामूहिक–आर्थिक विकास, विकसित होनेवाले देशों में जैवविविधता हानि को अंशदान देनेवाले अन्य कारणों में से है। प्राकृतिक संसाधनों तथा पारिस्थितिकीय सेवाओं के लगातार प्रावधानीकरण को सुनिश्चित करने के लिए जैवविविधता का संधारणीय उपयोग मुख्य है क्योंकि वर्तमान तथा भविष्य पीढी दोनों के आर्थिकता तथा समूह इसपर निर्भर है। राज्यों को अपने संसाधनों के उपयोग में प्रभुत्व नियंत्रण है, इस प्रकार कि वे अन्य राज्यों के तथा राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के सीमाओं को पार करके, पर्यावरण को क्षति न पहुँचा दें। सक्षम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जरिये जैवविविधता के परिरक्षण तथा संधारणीय उपयोग हेतु, आपसी हित या समस्या के विषयों पर

विकसित तथा विकास होनेवाले देशों के बीच सहयोग रहना मुख्य माना गया है। द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यवस्था को प्रोत्साहित करते हुए, उनकी सीमा को पार करके अन्य देशों के जैवविविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने संभाव्य, उनके नियंत्रण के अधीन गतिविधियों पर संबंधित देशों द्वारा विवरण और परामर्श की आदान प्रदान सीबीडी का मुख्य फीचर है।

दीर्घावधि विचार विमर्श तथा बातचीत के बाद, विश्वभर के देशों ने भारत सम्मिलित करके देशों के सक्रिय प्रतिभागिता के साथ युनाईटेड नेशन्स कांफरेन्स ऑन एनवरायनमेंट अण्ड डेवलेप्मेंट (यूएनसीईडी) के दौरान 1991 में जैविक विविधता पर कन्वेशन (सीबीडी) को अपनाया। सीबीडी के अधीन दायित्वों को पूर्ति करने की प्रतिक्रिया में, भारत सरकार ने 2002 में जैविक विविधता अधिनियम पारित किया और 2004 में जैवविविधता नियम को अधिसूचित किया।

सीबीडी के हस्ताक्षर होते ही तुरंत बाद, इनकी संधारणीय विकास से अलंघनीय तौर पर जुडे रहने के कारण से, भारत ने सीबीडी के मुख्य उद्देश्यों की उपलब्धि हेतु कानूनी रूपरेखा पर कार्य करने के लिए प्रयत्न शुरू किया, है। राष्ट्रीय स्तर पर, परिरक्षण, संधारणीय उपयोग और लाभों के उचित तथा न्यायसंगत आबंटन के लिए रूपरेखा को ढॉचाकृत करने के लिए 1992 में विचार विमर्श शुरू किया गया।

पर्यावरण व वन मंत्रालय और हितधारकों के रेंज के नेतृत्व में, भारत सरकार जैविक विविधता अधिनियम के रूप में व्यापक तथा प्रगतिशील विधान रूपरेखा ढॉचाकृत करते हुए सीबीडी को कार्यकारी योजना के रूप में कार्यान्वयन करने संबंधित उद्देश्य पर जोर दिया। एक दशक तक विचार विमर्श के बाद, इस अधिनियम को सांसद में पारित किया गया और फरवरी 5, 2003 को भारत के राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त किया। इस अधिनियम को कार्यान्वयन करने के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) को स्थापित किया गया और चेन्नई में मुख्यालय के साथ अक्तूबर 1, 2003 को अस्तित्व पाया। एनबीए को, देश के जैविक संसाधनों तथा संबंधित परंपरागत ज्ञान के परिरक्षण, संधारणीय उपयोग तथा उसके उपयोग में से प्राप्त लाभों के उचित व न्यायसंगत आबंटन संबंधित समस्याओं पर सुविधाजनक, नियंत्रणीय तथा सलाहकारी कार्यकलाप करने का अधिदेश है। क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तर में राज्य जैवविविधता बोर्ड (एसबीबी) और जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) के जरिये अपने अधिदेश को पूर्ण करने के लिए विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयन संरचना के साथ, एनबीए, विभिन्न हितधारक दलों के लिए जैवविविधता को इन्क्लूसिव एजेन्डा बनाने तथा देश में विभिन्न सेक्टॉर में कार्यान्वयन संबंधित समस्याओं को मेइनस्ट्रीम करने की ओर कार्यरत है।

राज्य जैवविविधता बोर्ड (एसबीबी)

अधिनियम की धारा 22 के साथ अनुपालन में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकारों द्वारा एसबीबीयों को स्थापित किया जाता है। संघ राज्यों के लिए, एनबीए द्वारा एसबीबी का अधिकार तथा कार्य किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्टानुसार एक व्यक्ति या व्यक्तियों के दल को अपने सभी या किसी अधिकार या कार्य को एनबीए डेलिगेट कर सकता है। एसबीबी में एक अध्यक्ष, विभिन्न विभागों को प्रतिनिधित्व करनेवाले पॉच पदेन सदस्य तथा जैवविविधता के परिरक्षण, जैविक संसाधनों के संधारणीय उपयोग और उनके उपयोग से प्राप्त लाभों का उचित तथा न्यायसंगत आबंटन से संबंधित विभिन्न विषयों पर गहरा ज्ञान के साथ पॉच विशेषज्ञ सदस्य होंगे ।

एसबीबीयों का कार्य

- जैवविविधता के परिरक्षण से संबंधित विषयों पर, उसके भागों के संधारणीय उपयोग पर तथा जैविक संसाधनों के उपयोग में प्राप्त लाभों के न्यायसंगत आबंटन में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शिकाओं के तहत, राज्य सरकार को सलाह देना.
- भारतीयों द्वारा किसी जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग या जैव सर्वेक्षण या जैव–उपयोग के लिए विनती पर अनुमोदन प्रदान करते हुए या उसके विपरीत, नियंत्रित करना
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित या अधिनियम के प्रावधानों को अपनाने के लिए आवश्यक अन्य ऐसे कार्यों को निष्पादन करना

जैवविविधता प्रबंधन समितियॉ (बीएमसी)

बीडी अधिनियम की धारा 41 के अनुसार, अपने अधिकार क्षेत्र में, जैवविविधता प्रबंधन समितियों को, आवास परिरक्षण, जमीन, लोक प्रजाति और किस्मों का, प्राणियों के देशीकृत स्टॉक तथा प्रजजन तथा सूक्ष्मआर्गनिसम का संरक्षण तथा जैविक विविधता से संबंधित ज्ञान का इतिवृत्त करना सम्मिलित करके परिरक्षण को, संधारणीय उपयोग तथा जैविक विविधता के दस्तावेजीकरण को प्रान्नत करने क्षेत्रीय बॉडी गठन करते हैं। जैविक विविधता नियम 2004 के नियम 22 (1) के साथ अनुपालन में बीएमसीयों का गठन किया जाता है। इसमें क्षेत्रीय बॉडी द्वारा नामांकित अध्यक्ष और छ व्यक्ति सम्मिलित है, जिसमें से एक तिहाई महिला होंगे और 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति होंगे।

बीएमसी का कार्यकलाप

- क्षेत्रीय व्यक्तियों के साथ परामर्श में, जन जैवविविधता पंजी (पीबीआर) की तैयारी, रखरखाव तथा प्रमाणीकरण। प्रदान किये गये जैविक संसाधनों और परंपरागत ज्ञान से अभिगम, आरोपित शुल्क वसूली संबंधित विवरण और प्राप्त लाभ संबंधित विवरण और उसके आबंटन संबंधित तरीका के बारे में विवरण देनेवाले पंजी का बीएमसी द्वारा रख रखाव किया जाना है।
- अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्राधिकारी या राज्य जैवविविधता बोर्ड से संदर्भित किसी विषय पर सलाह देना, जैविक संसाधनों को उपयोग करनेवाले क्षेत्रीय वैड तथा प्रयासकारों के बारे में आंकडा का रखरखाव

केन्द्र तथा राज्य सरकार की भूमिका

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, राज्य जैवविविधता बोर्ड तथा जैवविविधता प्रबंधन समितियॉ स्थापित करना

- जैविक विविधता के परिरक्षण, प्रान्नयन तथा संधारणीय उपयोग के लिए राष्ट्रीय रणनीतियॉ, योजनाएँ और कार्यक्रम विकसित करना
- जैवविविधता–संवृद्ध आवासों को, जो अतिउपयोग, दुरुपयोग और लापरवाही के कारण संकट में पडे है की सुरक्षा के लिए संबंधित राज्य सरकारों को तत्काल सुधारक कदम लेने के लिए निर्देश देना
- संबंधित सेक्टोरल या क्रास सेक्टोरल योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों में जैविक विविधता का परिरक्षण, प्रोन्नयन तथा संधारणीय उपयोग का एकाग्रण। एनबीए द्वारा सिफारिश किये अनुसार, जैविक विविधता से संबंधित क्षेत्रीय व्यक्तियों के ज्ञान को आदर प्रदान करने तथा सुरक्षा प्रदान करने संबंधित कदम
- पर्यावरण तथा जैवविविधता पर परियोजनाओं के प्रभाव को आकलन करना तथा जैविक विविधता और मानव स्वास्थ्य के परिरक्षण तथा संधारणीय उपयोग पर जीवित संशोधित आर्गनिसम के उपयोग और विमोचन संबंधित जोखिम और प्रतिकूल प्रभाव को नियंत्रण, व्यवस्थित करना।
- केन्द्र सरकार, एनबीए के साथ परामर्श में, अ. संकट में पडे प्रजातियों को अधिसूचित करना और उनकी एकत्रण, पुनर्वास और परिरक्षण को निशिद्ध करना या नित्रंयित करना आ. विभिन्न वर्गों के जैविक संसाधनों के संग्राहक रूप में संस्थाओं को अभिहित करना और इ. सामग्री के रूप में सामान्यतः व्यापार किये जानेवाले कुछ जैविक संसाधनों को छूट प्रदान करना
- राज्य सरकार, क्षेत्रीय बॉडियों के साथ परामर्श में, जैविविधता पैतृक क्षेत्रों को अधिसूचित करेगा और सभी पैतृक क्षेत्रों की व्यवस्था तथा परिरक्षण के लिए नियम गठित करेगा (केन्द्र सरकार के साथ परामर्श में) और बाधित व्यक्तियों के क्षतिपूर्ति/पुनर्वास के लिए योजनाओं को लॉच करेगा।

अध्याय 3

प्राधिकरण का गठन

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण का नेतृत्व अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे और जिनका जैविविधता से संबंधित विषयों में ज्ञान तथा अनुभव रहेगा, विशिष्टतः परिरक्षण, जैविक विविधता का संधारणीय उपयोग और लाभों का न्यायसंगत आबंटन पर ज्ञान और अनुभव रहेगा। इनके अलावा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों से दस पदेन सदस्य होंगे तथा पॉच गैर–सरकारी सदस्य होंगे जो जैवविविधता प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञ होंगे।

3.1 राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण की गतिविधियॉ

- भारत सरकार को जैवविविधता परिरक्षण, उसके भागों का संधारणीय उपयोग तथा जैविक संसाधनों के उपयोग में से प्राप्त लाभों का उचित तथा न्यायसंगत आबंटन पर सलाह देना
- बीडी अधिनियम 2002 की धाराएँ 3,4 तथा 6 के साथ अनुसरण में गतिविधियों को नियंत्रित करना तथा जैविक संसाधनों से अभिगम के लिए तथा उचित तथा न्यायसंगत आबंटन के लिए मार्गदर्शिकाएँ जारी करना। कुछ व्यक्ति/नागरिक/संगठन को जैविक संसाधन और/या संबंधित ज्ञान उपयोग करने हेतु एनबीए का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना है।
- भारत से प्राप्त किसी जैविक संसाधन या भारत से गैर–कानूनी तौर पर प्राप्त ऐसे जैविक संसाधन के साथ संबंधित ज्ञान पर भारत के बाहर किसी देश में बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करने से विरोध करने संबंधित आवश्यक कदम लेना।
- विरासतीय स्थलों के रूप में अधिसूचित करने हेतु जैवविविधता प्रमुख क्षेत्रों को चयन करने में तथा उनकी व्यवस्था हेतु कदम सुझावित करने में राज्य सरकार को सलाह देना
- जन जैवविविधता पंजीयों के दस्तावेजीकरण के लिए जैवविविधता प्रबंधन समितियों को राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण तथा राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा मार्गदर्शन तथा तकनीकि समर्थन प्रदान किया जाता है।
- जैविक विविधता अधिनियम के प्रावधानों को अपनाने के लिए आवश्यक अन्य ऐसे गतिविधियों को निष्पादन करना

अनुलग्नक 1 में, दस पदेन सदस्यो की तथा पॉच गैर–सरकारी सदस्य जिन्हें धारा 8 (4)(बी)(सी) और (डी) के अधीन नियुक्त किया गया की सूची दिया गया है।

अध्याय 4

प्राधिकरण की बैठकें

वर्ष के दौरान, प्राधिकरण का बैठक पॉच बार आयोजित था और विस्तार से विभिन्न समस्यों पर विचार विमर्श किया गया तथा उचित कार्यवाही के लिए सचिवालय को निर्देश/सुझाव प्रदान किया। इसके अलावा, प्राधिकरण ने एबीएस पर विशेषज्ञ समितियों के सिफारिश के साथ एबीएस आवेदन पत्रों पर विचार किया और एनबीए सचिवालय को निर्णय/सुझाव दिया। बैठक में विचार विमर्श किये गये एजेन्डा तथा परिणाम नीचे दिया जा रहा है।

4.1 33वॉ प्राधिकरण बैठक

श्री हेम पाण्डेय, अध्यक्ष, एनबीए की अध्यक्षता के अधीन चेन्नई में अप्रेल 17, 2015 को 33वें प्राधिकरण बैठक आयोजित किया गया था। इस बैठक में विचार विमर्श किये गये विषयों में मुख्य मदों में मार्च 9,2015 को आयोजित अभिगम तथा लाभ आबंटन पर विशेषज्ञ समिति की 31वें बैठक का कार्यवृत्त, बीडी अधिनियम 2002 की धारा 6 के परिधि से खाद्य तथा कृषि के लिए पौधा आनुवंशिक संसाधन पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता (आईटीपीजीआरएफए) के अधीन सूचीगत अनुलग्नक–1 फसल के लिए छूटे मॉगते हुए डीएसी का प्रस्ताव, मसौदा एनबीए चिकित्सा उपस्थिति नियम, बयोगैस उपस्कर के आविष्कार पर बीडी अधिकयम की प्रयोज्यता, गैर वाणिज्यिक अनुसंधान कार्य के लिए विदेशी अनुसंधाताओं को भारतीय जैविक संसाधनों के आपूर्ति परिग्रहण के अभिहित खजाने के लिए विशेष प्रारूप विकसित करने के लिए डीपीटी से औचित्यता और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के साथ समझौता में संशोधन सम्मिलित था।

4.2 34वॉ प्राधिकरण बैठक

श्री हेम पाण्डेय, अध्यक्ष, एनबीए की अध्यक्षता के अधीन नई दिल्ली में जून 29, 2015 को चौंतीसवॉ प्राधिकरण बैठक आयोजित किया गया था। इस बैठक में विचार विमर्श किये गये विषयों के मुख्य मदों में भारतीय व्यक्तिगत/एन्टाइटियों द्वारा समुद्रीवीड के निर्यात संबंधित आवेदन का प्रक्रियाकरण, किसी भी कार्यवाही की आवश्यकता अनुपलब्ध फाइलों के लिए प्रक्रिया विकसित करना, धारा 61 (ए) के अधीन शिकायतकर्ता के रूप में एनबीए के तकनीकि अधिकारियों को समावेश करने के लिए प्रस्ताव, सामान्य तौर पर व्यापार किये जानेवाले सामग्रियों की विस्तार सूची और लाभ आबंटन अंशों का पुनरीक्षण सम्मिलित था।

4.3 35वॉ प्राधिकरण बैठक

श्री हेम पाण्डेय, अध्यक्ष, एनबीए की अध्यक्षता के अधीन नई दिल्ली में अक्तूबर 13,2015 को पैंतीसवॉ प्राधिकरण बैठक आयोजित किया गया था। इस बैठक में विचार विमर्श किये गये विषयों के मुख्य मदों में आवेदन के ऑनलाइन समर्पण तथा ऑफलाइन प्रक्रियाकरण के लिए कुल मा्डयूल विकसित करने के लिए एनआईएसी के प्रस्ताव, गल्फ ऑफ मन्नार के कोरल रीफ द्वीपों पर समुद्री वीड के हानिकारक प्रभावों पर रा स प्रौ सं से प्राप्त अंतरिम प्रतिवेदन, भारत से प्राप्त किसी जैविक संसाधन या जिस संसाधन भारत से प्राप्त है ऐसे जैविक संसाधन से संबंधित ज्ञान पर भारत के बाहर बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करने से विरोध करने के लिए कदम लेना तथा 2014–15 के लिए मसौदा वार्षिक प्रतिवेदन सम्मिलित था।

4.4 36वॉ प्राधिकरण बैठक

श्री हेम पाण्डेय, अध्यक्ष, एनबीए की अध्यक्षता के अधीन एनबीए, चेन्नई में जनवरी 6, 2016 को छत्तीसवॉ प्राधिकरण बैठक आयोजित किया गया था। इस बैठक में विचार विमर्श किये गये विषयों के मुख्य मदों में बीडी अधिनियम 2002 के उल्लंघन संबंधित प्रकरण में आवेदनों को खारिज करने के लिए धारा 19(3) के अधीन जारी किये गये नोटिस के विरुद्ध प्रतिक्रिया की अप्राप्ति से संबंधित अनुवर्ती कार्यवाही, सामान्य तौर पर व्यापार किये जानेवाले सामग्रियों का विस्तार किये गये सूची, 'डेवलेप्मेंट ऑफ ट्रेड डाटाबेस ऑन इंडियन बयोरिसोर्सस युटिलाइसिंग कस्टम्स अण्डपोर्ट डाटा, कोडिंग ऑफ ट्रेडड बयोरिसोसर्स अण्ड स्टेन्डर्डाइसेशन ऑफ नामेनक्लेचर' शीर्ष पर प्रायोजित अध्ययन पर व्यापार अध्ययन अकादमी, नई दिल्ली द्वारा समर्पित अंतिम प्रतिवेदन, मुख्य विशेषज्ञ दल द्वारा विकसित अभिहित खजाने के लिए मार्गदर्शिकाएँ, भारतीयों द्वारा अनूठा प्रजातियों के दावा हेतु विदेशी खजाना में सूक्ष्मआर्गनिसमों के निक्षेपण का उपसमिति प्रतिवेदन ने परीक्षण किया, इन्टर्न के लिए अवसर प्रदान करने तथा अभिगम और लाभ आबंटन पर नगोया प्रोटोकॉल को कार्यान्वयन करने के लिए अधिसूचनाएँ/आदेश सम्मिलित था।

4.5 37वॉ प्राधिकरण बैठक

एनबीए की सैंतीसवॉ प्राधिकरण बैठक मार्च 22, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस बैठक में विचार विमर्श किये गये विषयों के मुख्य मदों में फरवरी 15, 2016 को आयोजित एबीएस पर 36वॉ विशेषज्ञ समिति के

कार्यवृत्ति, सीईबीपीओएल के जरिये न्यूजलेटर की तैयारी के लिए प्रस्ताव, जैवविविधता संबंधित समस्यों पर ईएनवीआईएस नोड/केन्द्र निर्मित करने की संभाव्यता, एनबीए चिकित्सीय उपस्थित नियम में बाह्य उपचार के लिए सीलिंग, अनूठा प्रजातियों के दावा हेतु गैर–भारतीय संस्कृति एकत्रण के निक्षेपण के लिए एनबीए को सूचना प्रदान करने भारतीय अनुसंधाता/वैज्ञानिकों के लिए प्रारूप और अनुसंधान अपनाने के लिए पूर्व में अभिगम किये गये जैविक संसाधनों के संबंध में प्रारूप 2 और 3 आवेदनों के लिए एनबीए/एसबीबी द्वारा बीएमसी के साथ परामर्श के साथ निपटान करना सम्मिलित था।

अध्याय 5

प्राधिकरण द्वारा गठित समितियाँ और उनकी गतिविधियाँ

5.1 अभिगम तथा लाभ आबंटन पर विशेषज्ञ समिति (एबीएस)

अनुसंधान, जैव–सर्वेक्षण और जैव–उपयोग तथा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैविक संसाधनों और/ या संबंधित ज्ञान से अभिगम के लिए अनुसंधान परिणामों के अंतरण, जैविक संसाधनों पर अनुसंधान या सूचना पर आधारित आविष्कार के लिए बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्राप्त करने के लिए तथा अभिगमित जैविक संसाधनों का तृतीय पक्ष को अंतरण हेतु पूर्व अनुमोदन मॉगते हुए, एनबीए द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र का विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा, जो प्राधिकरण द्वारा विचार हेतु उचित सिफारिश करता है। वर्ष के दौरान, समिति का छ बैठकें आयोजित किया गया था जैसे मई 28, 2015, अगस्त 17, 2015, अक्तूबर 9, 2015, नवंबर 28, 2015 तथा फरवरी 15, 2016, मार्च 12, 2016 और अभिगम तथा लाभ आबंटन पर लगभग 300 आवेदनों का मूल्यांकन करके प्राधिकरण को सिफारिश प्रदान किया। इसके अलावा, विशेषज्ञ समिति ने गैर–जैविक संसाधनों से अभिगम, जैविक संसाधनों के उपयोग के बिना विकसित ढॉचा की दावा पर बीडी अधिनियम की प्रयोज्यता तथा अग्रिम भुगतान आरोपित करने संबंधित तौर–तरीके जैसे विभिन्न आनुवंशिक समस्याओं पर तकनो–कानूनी इनपुट प्रदान किया।

5.2 लाल सेन्डर्स लकडी से अभिगम पर एनबीए द्वारा एहसास किये गये लाभ आबंटन के उपयोग के लिए व्यापक नीति विकसित करने के लिए लाल सेन्डर्स पर विशेषज्ञ समिति

दिसंबर 2014 को आयोजित 32वॉ प्राधिकरण बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि लाल सेन्डर्स के निर्यात से एनबीए/एसबीबी द्वारा एहसास किये गये रकम को लाल सेन्डर्स की सुरक्षा, परिरक्षण तथा संधारणीय उपयोग की ओर व्यापक नीति विकसित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना है। इसके बाद, मार्च 2015 को 'लाल सेन्डर्स पर विशेषज्ञ समिति 'का गठन किया गया। इस विशेषज्ञ समिति का

बैठक सात बार आयोजित किया गया जैसे अप्रेल 18, 2015, मई 15 और 16,2015, जून 12 और 13, 2015, जुलाई 18 से 20, 2015, अक्तूबर 17, 2015, दिसंबर 3 और 4, 2015, जनवरी 8 और 9, 2016 तथा विभिन्न समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया गया था।

आगे, लाल सेन्डर्स पर विशेषज्ञ समिति ने संदर्भों के शर्तों को निर्वहन करने के लिए तीन उप समितियों का गठन किया। इसके अनुसार, वर्ष के दौरान इस उप समिति तीन बार मिला और ईसी के लिए अपने प्रतिवेदन तैयारी की प्रक्रिया में है।

इस प्रतिवेदन का ईसी द्वारा परितुलन किया जाएगा और प्राधिकरण को अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा। विशेषज्ञ समिति द्वारा एक बार प्रतिवेदन समर्पित किये जाने पर, उसपर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा और लाभ आबंटन रकम का उचित तौर पर उपयोग किया जाएगा।

5.3 जॉच बिन्दुओं को अभिहित करने पर मसौदा अधिसूचना को ठीक करने के लिए मुख्य विशेषज्ञ दल तथा अभिगम व लाभ आबंटन पर नगोया प्रोटोकॉल को कार्यान्वयन करने के लिए उपयोग करनेवाले देश का कदम

32वॉ प्राधिकरण बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार, एनबीए ने कार्यपालक आदेश के रूप में उक्त अधिसूचना को जारी करने के लिए विनती के साथ एबीएस पर नगोया प्रोटोकॉल को कार्यान्वयन करने के लिए उपयोगकतो देश कदम और जॉच बिन्दुओं को अभिहित करने पर एमआईईएफ और सीसी को अधिसूचना अग्रेषित किया। एमओईएफ और सीसी ने सूचित किया कि जैसे कि इस समस्या को सीईबीपीओल के कार्य योजना के अधीन विचार किया गया है, इस मंत्रालय को संप्रेषित नमूना अधिसूचना पर विचार करते हुए आवश्यकता पडने पर, सीईबीपीओल के अधीन कार्य के परिणाम के सहायता के साथं, संशोधन किया जाए। इसके अनुसार, भारत में नगोया प्रोटोकॉल को कार्यान्वयन करने के लिए जॉच बिन्दु अभिहित करने तथा उपयोगकर्ता देश कदम पर नमूना अधिसूचना को पुनःपरीक्षण करने तथा ठीक करने के लिए एक मुख्य विशेषज्ञ दल का गठन किया गया। उपयोगकर्ता देश कदमों तथा जॉच बिन्दुओं पर नमूना अधिसूचना पर फरवरी 6,2016 को अनौपचारिक विचार विमर्श सीईजी द्वारा किया गया।

5.4 वर्तमान समझौता प्रारूपों को पुनरीक्षण करने के लिए विशेषज्ञ समिति

32वॉ प्राधिकारी बैठक में लिये गये निर्णय पर आधारित करके, जैविक संसाधनों तथा संबंधित ज्ञान से अभिगम और लाभ आबंटन नियंत्रण, 2014 तथा अक्तूबर 12,2014 को लागू एबीएस पर नगोया प्रोटोकॉल के प्रवेश

पर मार्गदर्शिका जैसे हालही के विकासों के संबंध में वर्तमान समझौता प्रारूपों को पुनरीक्षण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।

इस विशेषज्ञ समिति, अगस्त 18,2015, जून 12, 2015 और फरवरी 5,2016 को तीन बार मिला और वर्तमान समझौता में उपलब्ध सभी मुख्य विषयों को सम्मिलित करते हुए समझौता का एकल प्रारूप विकसित किया। मसौदा को ठीक करने के बाद, विचार हेतु पुनरीक्षित समझौता प्रारूप को एनबीए के विचारार्थ पेश करेगा।

5.5. अभिहित खजाने पर मुख्य विशेषज्ञ दल

32वें प्राधिकरण द्वारा गठित मुख्य विशेष समिति (सीईजी) एनबीए, चेन्नई में मार्च 12 को जैविक विविधता अधिनियम की धारा 39 के अधीन अभिहित वर्तमान राष्ट्रीय खजाना के कार्यचालन को पुनरीक्षण करने तथा खजाना के लिए कार्यकारी मार्गदर्शिकाओं को विकसित करने के लिए मिले।

सीईजी के अध्यक्ष के साथ परामर्श में सचिवालय ने विचार विमर्श के लिए मसौदा कार्यकारी मार्गदर्शिका के साथ संक्षिप्त टिप्पणी विकसित किया और उसे अग्रिम तौर पर सदस्यों

के बीच वितरित किया गया। इसके बाद, सीईजी द्वारा विकसित मसौदा कार्यकारी मार्गदर्शिकाओं से संबंधित कानूनी समस्याओं पर विचार विमर्श बैठक एनबीए, चेन्नई में अगस्त 18, 2015 को डॉ आर.एस. राणा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।

अक्तूबर 5, 2015 को आयोजित उसके द्वितीय बैठक में सीईजी ने निर्णय लिया कि अभिहित खजाने के लिए प्रस्तावित कार्यकारी मार्गदर्शिकाओं को खजाने के विशिष्ट अधिदेश को तथा बीडी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जैविक संसाधनों के उपयोगकर्ता के दायित्वों को संबोधित करना है। इसके अनुसार, सीईजी ने अभिहित खजाने के लिए मर्सादा मार्गदर्शिका विकसित किया और उसे एनबीए सचिवालय को समर्पित किया। प्राधिकरण ने अपने 36वें बैठक में अभिहित खजाने पर मार्गदर्शिकाओं को अनुमोदन प्रदान किया। सभी खजानों में मार्गदर्शिकाओं को वितरित किया गया।

5.6 जैवविविधता प्रबंधन समिति के लिए वर्तमान मार्गदर्शिकाओं को पुनरीक्षण करने के लिए जैवविविधता प्रबंधन समिति पर विशेषज्ञ समिति

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण द्वारा 2013 में जैवविविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के प्रचालनीकरण हेतु मार्गदर्शिका 2013 में विकसित किया गया। इन मार्गदर्शिकाओं पर आधारित करके, बीएमसी यों के गठन, प्रचालनीकरण और प्रबंधन में विभिन्न राज्यों ने सुगम भूमिका निभाया। अपने क्षेत्रीय अनुभव पर

आधारित करके कई राज्यों ने मार्गदर्शिका पर पुनरीक्षण सुझावित किया है और टिप्पणी प्रदान किया है। इसके बाद, एनबीए ने बीएमसी के लिए वर्तमान मार्गदर्शिकाओं को पुनरीक्षण करने के लिए बीएमसी पर विशेषज्ञ समिति का पुनःगठन किया। इस विशेषज्ञ समिति दो बार मिले जैसे अप्रेल 23, 2015। कार्य को आगे बढाने, ईसी ने एनजीओ सम्मिलित करके विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोण को निर्धारित करने के लिए क्षेत्रीय परामर्शदाताओं का सुझाव दिया। इसके अनुसार, मई 14,2015 (बंगलूर), जून 8 (पंजाब) और जुलाई 9 तथा 10 (कोलकाता) में तीन विचार विमर्श बैठक आयोजित किया। इसके बाद, इन सुझावों पर विचार विमर्श किया गया और दिसंबर 2, 2015 को आयोजित द्वितीय बैठक में वाद–विवाद किया गया और समिति वर्तमान मार्गदर्शिकाओं को पुनरीक्षण करने की प्रक्रिया में है।

5.7 सामान्य तौर पर व्यापार किये जानेवाले सामग्रियों (एनटीएसी) पर विशेषज्ञ समिति

28.08.2004 को आयोजित बैठक के अजेन्डा मद के जरिये प्राधिकरण की 28वें बैठक में लिये गये निर्णय पर आधारित करके, सामान्य तौर पर व्यापार किये जानेवाले सामग्रियॉ (एनटीएसी पर ईसी) का पुनःगठन, एनटीसीयों की सूची को विस्तार करने के लिए अध्यादेश के साथ, श्री डी.के.वेद, आईएफएस (सेवा निवृत्त), सलाहकार, एफआरएलएचटी की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, जिन्हें विचार तथा अनुमोदन हेतु प्राधिकरण के सामने पेश किया जाएगा।

इसके अनुसार, एनटीएसी पर पुनःगठित ईसी का बैठक, कृषिक सेक्टॉर, आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक संघ (एडीएमए), कृषिक व प्रक्रियाकृत खाद्य सामग्री निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) तथा पंजाब कृषिक विश्वविद्यालय (पीएयू) द्वारा सुझावित/प्रस्तावित सामान्य तौर पर व्यापार किये जानेवाले प्रवर्ग/जैविक संसाधन/ मदों पर विचार करने, बंगलूर में जून 11, 2015 को, चेन्नई में सितंबर 29, 2015 को तथा मई 17, 2015 को गोआ में विशेष बैठक आयोजित किया गया।

साथ साथ एनटीएसी पर ईसी के बैठकों में 'डेवलेप्मेंट ऑफ ए ट्रेड डाटाबेस ऑन इंडियन बयोरिसोसर्स यूटिलाइजिंग कस्टम्स अण्ड पोर्ट डाटा, कोडिंग ऑफ ट्रेडेड बयोरिसोर्सस अण्ड स्टेन्डर्डाइजेशन ऑफ नामेनक्लेचर 'शीर्षक पर एनबीए द्वारा अध्ययन का पुनर्विलोकन किया। इस अध्ययन, अध्ययन को अंतिम रूप देने संबंधित दृष्टिकोण के साथ, अकादमी ऑफ बिसिनस स्टडीज(एबीएस), नई दिल्ली द्वारा अपनाया गया है।

5.8 चिकित्सीय पौधों पर विशेषज्ञ समिति

देश में अधिकतम जनसंख्या के सामूहिक–आर्थिक, स्वास्थ्य तथा जीविका सुरक्षा के लिए चिकित्सीय पौधों की मुख्यता पर विचार करते हुए तथा व्यापक तौर पर चिकित्सीय पौधों पर आगे उभर आनेवाले समस्याओं के साथ व्यवहार करने में जैव–सांस्कृतिक विविधिता को पुष्टि करने के लिए, अजेन्डा सं.34.11 के अधीन जून 29, 2015 को आयोजित प्राधिकरण की 34वॉ बैठक में श्रीमती अमरजीत अहुजा, आईएएस (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता के अधीन चिकित्सीय पौधों पर विशेषज्ञ समिति (ईसी) को पुनः गठन करने संबंधित निर्णय लिया गया। बीडी अधिनियम की धारा 38 के अधीन जारी राजपत्र अधिसूचनाओं पर राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण को सलाह प्रदान करना इस विशेषज्ञ समिति का मुख्य अधिदेश होगी।

इसके अनुसार, जुलाई 10, 2015 को तथा नवंबर 6, 2015 को पुनःगठित विशेषज्ञ समिति की बैठक चेन्नई में 38 अधिसूचनाएँ, संकट आकलन रणनीतियॉ, डीजीएफटी द्वारा जारी निर्यात के लिए प्रजातियों के प्रतिकूल सूची और जन जैवविविधता पंजी (पीबीआर) के जरिये दस्तावेजीकृत चिकित्सीय पौधों से संबंधित परंपरागत ज्ञान को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करके आगे बढने के लिए आयोजित किया गया था। संकट आकलन तौर–तरीकों पर प्रतिवेदन तैयार करने हेतु विशेषज्ञ समिति के अंग के रूप में, डॉ जी.ए. किनहाल की अध्यक्षता में एक उपसमिति का गठन किया गया। ईसी में आगे विचार विमर्श तथा सिफारिश हेतु संदर्भ के शर्तों के अनुसार प्रगति प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

अध्याय 6

जैविक संसाधनों से अभिगम और उचित तथा न्यायसंगत लाभ आबंटन को नियंत्रित करने के लिए गतिविधियाँ

जैवविविधता अधिनियम 2002 की धारा 22 के अनुसार, सभी 29 राज्यों में राज्य जैवविविधता बोर्डों को स्थापित किया गया है। अब तक, छत्तीसगढ तथा तेलंगाना, जिसने 2015–16 के दौरान अधिसूचित किया, सम्मिलित करके, राज्य जैवविविधता नियमों का 22 एसबीबीयों द्वारा अधिसूचित किया गया है। भारत के संघ राज्यों में जैवविविधता प्रबंधन समितियों को कार्यान्वयन तथा अनुवीक्षण करने के लिए जैवविविधता समितियॉ गठित करते हुए जैवविविधता अधिनियम 2002 कार्यान्वयन करने के लिए पहलु लेने की प्रक्रिया में भी राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण लगा है। राष्ट्रीय स्तर में एनबीए द्वारा बीएमसी के गठन तथा एमओईएफ और सीसी से प्राप्त ''पीबीबार की तैयारी '' अनुदान के अधीन पीबीआर की तैयारी के लिए एसबीबीयों को अनुदान प्रदान किया जा रहा है। अनुदान में ''एसबीबीयों को सुदृढ करना '' के अधीन निम्न विशेष अंशों को प्रस्तावित किया गया ताकि बीडी अधिनियम 2002 द्वारा प्रदत्त अनिवार्य कार्यवाहियों के निस्तारण संबंधित उसकी क्षमता को विकसित कर सकें।

i) आधारभूत सुविधाऍ
ii) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
iii) कर्मचारी का आउटोर्सिंग
iv) सामग्रियों का अनुवाद, मुद्रण तथा वितरण
v) थीमेटिक विशेषज्ञ समितियॉ
vi) सहकर्मी से सहकर्मी अध्ययन तथा आदान प्रदान दौरा
vii) वेबसाइट का विकास/रीवेंपिंग तथा रखरखाव
viii) परियोजना जागरूकता कार्यक्रम
ix) अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस समारोह

अध्याय 7

एनबीए द्वारा प्रदत्त अनुमोदन

जैविक संसाधनों, भागों के संधारणीय उपयोग तथा उसके उपयोग से प्राप्त लाभों का उचित तथा न्यायसंगत वितरण जैविक विविधता अधिनियम 2002 का उद्देश्य है। इसके अनुसार, अनुसंधान के लिए जैविक संसाधनों और/या संबंधित ज्ञान से अभिगम गतिविधियों को नियंत्रित करना, आईपी अधिकार प्राप्त करना, अनुसंधान के परिणामों का अंतरण और अभिगमित जैविक संसाधनों और/या संबंधित ज्ञान का अंतरण राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण का अधिदेश है। आवेदक द्वारा अनुपालन किये जाने योग्य प्रक्रियाओ को अधिनियम की धारा 3,4,6, 19 तथा 20 में तथा एबीएस नियंत्रण 2014 में उल्लिखित किया गया है।

2. ऐसे गतिविधियों के लिए, विभिन्न हितधारकों से एनबीए आवेदन प्राप्त कर रहा है। जैसे गैर–भारतीय व्यक्ति या एन्टाइटी, भारतीय व्यक्ति या एन्टाइटी और इसे इस कार्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। आवेदन से संबंधित विस्तार विवरण तालिका 1 में प्रदान किया जा रहा है।

तालिका 1 – एबीएस आवेदनों का वर्ग

प्रारूप सं	आवेदन का आशय	किसके द्वारा
I	अनुसंधान, वाणिज्यिक उपयोग, जैव सर्वेक्षण या जैव–उपयोग हेतु जैविक संसाधन और/या सबंधित परंपरागत ज्ञान से अभिगम	गैर–भारतीय, एनआरआई, शेयर पूँजी या प्रबंधन में गैर–भारतीय की सहभागिता वाले भारतीय एन्टाइटी
II	अनुसंधान परिणामों का अंतरण	किसी भारतीय/ गैर–भारतीय या किसी गैर भारतीय का एन्टाइटी, एनआरआई, विदेशी एन्टाइटी या भारतीय एन्टाइटी जिनका शेयर पूँजी या प्रबंधन में गैर–भारतीय सहभागिता हो।
III	बौद्धिक संपत्ति अधिकार के लिए आवेदन करना	किसी भारतीय/ गैर–भारतीय या एन्टाइटी
IV	पहले ही अभिगमित जैविक संसाधन/ ज्ञान का तृतीय दल को अंतरण	किसी भी व्यक्ति, जिन्होंने भारतीय/ गैर–भारतीय या एन्टाईटियों के लिए प्रारूप 1 में एनबीए से अनुमोदन प्राप्त किया हो।

3. एबीएस आवेदनों के प्रक्रियाकरण का स्कीमेटिक प्रदर्शन नीचे दिया जा रहा है:

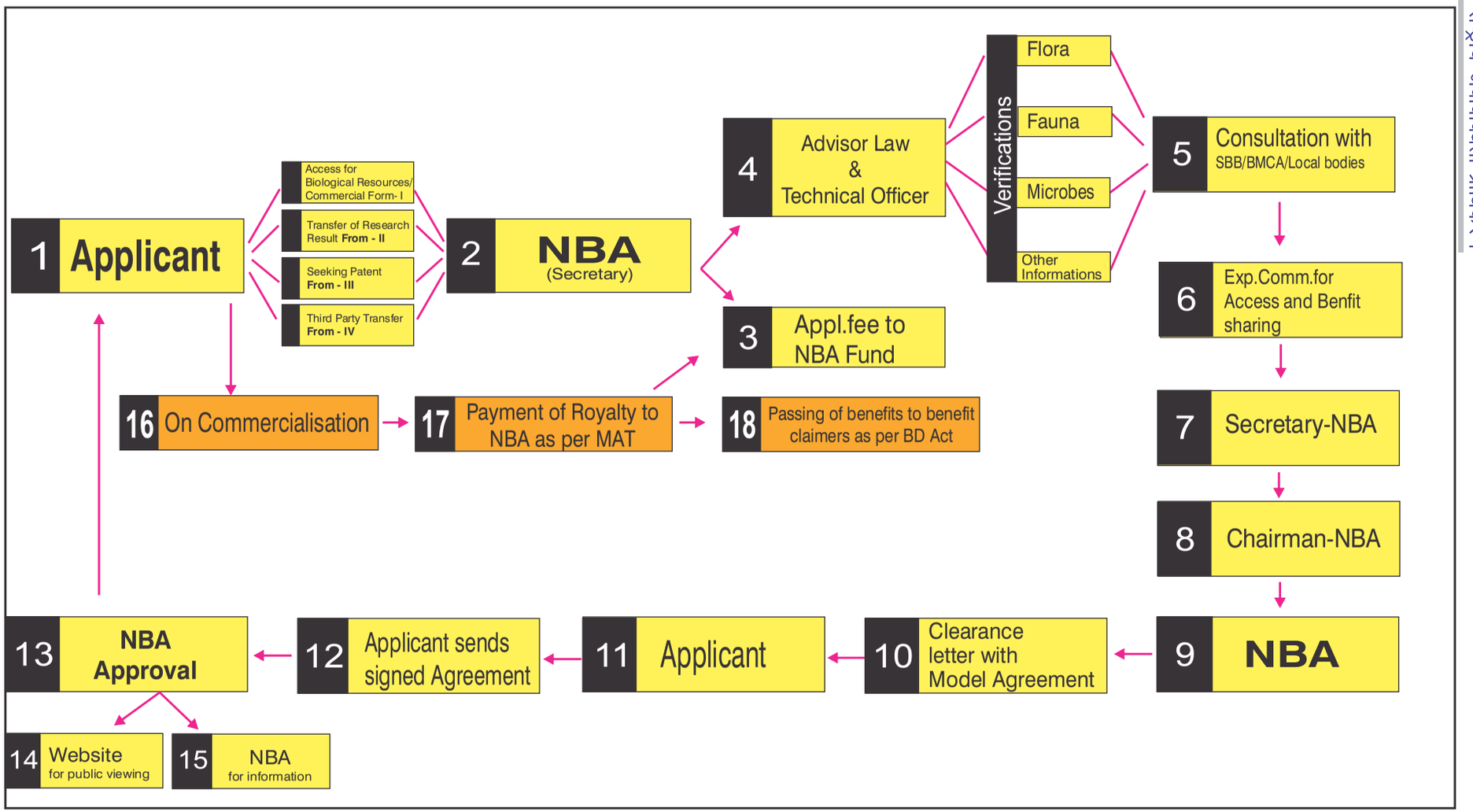

* For details please go through Biological Diversity Act, 2002 & Rules, 2004

4. उसके प्रारंभ से, एनबीएस द्वारा विभिन्न हितधारकों से 1221 आवेदन प्राप्त किया गया है। विवरणों को तालिका 2 में दिखाया गया है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान, एनबीए द्वारा 349 आवेदन प्राप्त किया गया जिसमें से 231 (पिछले वर्ष के दौरान प्राप्ति सम्मिलित करके) को सभी विषयों में पूर्ण पाया गया और प्रक्रियाकरण के लिए अपनाया गया। आवेदन पत्रों के प्रक्रियाकरण संबंधित विभिन्न स्तर तालिका 3 में दिया गया है।

तालिका 2 – विभिन्न वर्गों के अधीन प्राप्त आवेदन

प्रारूप	वर्ग	2004 से प्राप्त आवेदनों की संख्या
प्रारूप 1	अनुसंधान/वाणिज्यिक उपयोग हेतु जैविक संसाधन और/या सबंधित परंपरागत ज्ञान से अभिगम	**251**
प्रारूप 2	आर्थिक विचार या अन्यता के लिए अनुसंधान परिणामों का अंतरण	**44**
प्रारूप 3	बौद्धिक संपत्ति अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अनापत्ति पत्र मॉगना	**821**
प्रारूप 4	अभिगमित जैविक संसाधनों और/या संबंधित ज्ञान का तृतीय दल को अंतरण	**81**
प्रारूप बी	जैविक संसाधनों को उपयोग करनेवाले भारतीय अनुसंधाता/ सरकारी संस्थाओ द्वारा भारत के बाहर आपातकालिक आशय हेतु गैर–वाणिज्यिक अनुसंधान या अनुसंधान का आयोजन	**11**
	निर्धारित प्रारूप और शुल्क के साथ अनावेदित	**13**
	dy	**1221**

तालिका 3 – एबीएस आवेदनों के प्रक्रिया संबंधित स्तर

विवरण	प्राप्त	क्लियर किये गये	प्रक्रिया के अधीन	हस्ताक्षरित/ अनुमोदित समझौता	समाप्ति/ निकासी	क्लियर किये गये (पिछले वर्षो में प्राप्त आवेदन)	हस्ताक्षरित समझौता (पिछले वर्षो में प्राप्त आवेदन)	समाप्ति/ निकासी (पिछले वर्षो में प्राप्त आवेदन)	खारिज किया गया
प्रारूप 1	66	29	30	19	7	20	12	19	1
प्रारूप 2	4	1	3	1	0	3	0	5	0
प्रारूप 3	148	55	89	18	4	79	33	32	0
प्रारूप 4	3	0	2	0	1	2	2	11	0
प्रारूप बी	10	6	1	6	3	1	1	0	0
कुल	**231**	**91**	**125**	**44**	**15**	**105**	**48**	**67**	**1**

*पिछले वर्ष में प्राप्त आवेदन सम्मिलित है

7.1 एहसास किये गये लाभ आबंटन

इस अवधि के दौरान, एनबीए द्वारा विदेशी ग्राहकों से लाल सेन्डर वुड से अभिगम पर नीलामी दाम पर 5 प्रतिशत लाभ आबंटन के रूप में 16.51 करोड एहसास किया गया है। अध्याय 2 के अधीन संदर्भित अनुसार, लाल सेन्डर्स पर एक विशेषज्ञ समिति, लाभ आबंटन के उपयोग के लिए व्यापक प्रतिवेदन तैयार कर रहा है।

7.2 अनुपालन के लिए अंतर्रा"ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र (आईआर सीसी) जनरेट करना

आनुवंशिक संसाधनों से अभिगम पर तथा उनके उपयोग से प्राप्त लाभों के न्यायसंगत आबंटन पर नगोया प्रोटॉकाल के अनुच्छेद 17 के अधीन, दलों द्वारा अभिगम के समय, गवाह के रूप में पर्मिट या उसके समतुल्य को निर्गत करने की आवश्यकता है कि आनुवंशिक संसाधनों से अभिगम पूर्व सूचित स्वीकृति पर आधारित है और आपस में सहमत शर्तों को स्थापित किया गया है। जैसे कि भारत नगोया प्रोटोकॉल का एक दल है, एनबीए ने सीबीडी सचिवालय द्वारा विकसित एबीएस सीएच प्लेटफार्म में जैविक संसाधन तथा संबधित ज्ञान के अभिगम संबंधित अनुमोदन को अपलोड किया है। इस साफटवेयर, अनुपालन का अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र जनरेट करता है। सीबीडी ने भारत को एबीएस–सीएच में प्रथम आईआरसीसी हास्ट करने के लिए शबाशी दिया।

7.3 प्रारूप सी प्रस्तावित करना

36वीं प्राधिकरण बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि नामेनक्लेचर के अंतर्राष्ट्रीय बेक्टिरियोलॉजिकल कोड के अधीन, जर्नलों में प्रकाशन के लिए अनोखी प्रजाति के दावा हेतु अन्य देशों में भारतीय अनुसंधादाता/ वैज्ञानिक द्वारा सूक्ष्म–आर्गनिसमों का निक्षेप, बीडी अधिनियम 2002 के परिधि के अधीन नहीं आएगा। इसके बाद, 37वें प्राधिकरण बैठक के निर्णय के अनुसार, एनबीए ने भारतीय अनुसंधाता/वैज्ञानिक द्वारा गैर–भारतीय सांस्कृतिक एकत्रण में सूक्ष्म आर्गनिसम निक्षेप के लिए सूचना प्रदान करने के लिए प्रारूप सी प्रस्तावित किया। पर भी, किसी गैर–भारतीय व्यक्ति/एन्टाइटी जो विदेशी खजाना से जमा किये गये भारतीय जैव संसाधन से अभिगम करते हैं उन्हें बीडी अधिनियम 2002 की धारा 3 के अनुसार एनबीए से पूर्व अनुमति प्राप्त करना है।

अध्याय 8

आनुवंषिक संसाधन तथा संबंधित ज्ञान से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में अपनाये गये कदम

जैविक संसाधनों तथा उससे संबंधित ज्ञान में आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कच्चा सामग्री/विवरण शामिल है। जैवप्रौद्योगिकी सम्मिलित करके, वैज्ञानिकों के लिए परंपरागत ज्ञान लीड प्रदान कर सकता है। पेटन्ट प्रदान करते हुए निजी संपत्ति अधिकार का निर्माण, आईपीआर वाहक को अधिक लाभ प्राप्त करने देता है तथा भविष्य परिणामों के लिए बाधाओं को निर्माण करता है। पर भी, इस अनुसंधान से प्राप्त लाभ तथा वाणिज्यिक आय को जैविक संसाधन तथा संबंधित ज्ञान के वाहकों और परिरक्षकों के साथ आबंटन नहीं किया जाता है। पूर्व सूचित स्वीकृति तथा आपसी तौर पर सहमत शर्तों में लाभ आबंटन के जरिये अभिगम के लिये अंतर्राष्ट्रीय अधिदेश निर्माण करते हुए, इन प्रतियोगी हितों को संतुलन करने के लिए प्रयत्न है सीबीडी। सीबीडी के तीन उद्देश्यों को कार्यान्वयन करने के लिए भारत ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 को अधिनियमित किया जैसे जैविक विविधता का परिरक्षण, उसके भागों का संधारणीय उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग में प्राप्त लाभों का उचित तथा न्यायसंगत आबंटन। जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 6 के अनुसार, भारत से प्राप्त जैविक संसाधन पर किसी अनुसंधान या विवरण पर आधारित करके बौद्धिक संपत्ति अधिकार के लिए आवेदन करनेवाले किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। पर भी, अभिगम तथा लाभ आबंटन दायित्वों को अनुपालन करते हुए, भारत में प्राप्त जैविक संसाधनों तथा संबंधित ज्ञान पर आधारित आविष्कार को पेटेन्ट करने के लिए प्रयत्न जारी है। धारा 6 के उल्लंघन में दर्ज किये जानेवाले, भारत के बाहर किसी देश में बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करने से विरोध करने, आवश्यक कदम लेने राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण को अधिनियम की धारा 18(4) के अधीन अधिकार प्राप्त है।

अक्तूबर 13, 2105 को आयोजित प्राधिकरण की 35वॉ बैठक में समस्या पर विचार विमर्श किया गया और एनबीए सचिवालय को ऐसे आईपीआर आवेदनों को विरोध करने के लिए आवश्यक कदम लेने के लिए निर्देश दिया गया। अब तक 6 प्रकरणों में आईपीआर प्रदान करने से विरोध करने संबंधित कदम लिया गया है। एनबीए द्वारा ईरोपीय पेन्टेन्ट कार्यालय में 3 प्रकरणों में तृतीय दल प्रक्षेपण दर्ज किया गया है और एक प्रकरण राज्य बौद्धिक संपदा कार्यालय (चाइना) में, केनडा बौद्धिक संपदा कार्यालय में आईपीआर प्रदान करने के विरुद्ध विरोध अर्जी तथा और एक प्रकरण में, डब्ल्यूआईपीओ में तृतीय दल प्रक्षेपण दर्ज किया गया।

अध्याय 9

राज्य जैवैविविधता बोर्डों का कार्यक्रम व गतिविधियाँ

आन्ध्र प्रदेश

वर्ष के दौरान, नवंबर 27, 2015 को एक बोर्ड बैठक आयोजित किया गया था। अब तक, राज्य भर में 1696 ग्रामीण स्तर बीएमसीयॉ, 25 मंडल स्तर बीएमसीयॉ, 5 मुनिसिपॉलिटी स्तर बीमीसी, एक जिला स्तर बीएमएसी का गठन किया गया है। इनमें से, इस वर्ष के दौरान, 812 ग्रामीण स्तर बीएमसीयॉ, 5 मंडल स्तर बीएमसीयॉ, 1 मुनिसिपालिटी स्तर बीएमसी का गठन किया गया। बोर्ड ने धारा 23 (बी) के अधीन 7 आवेदनों तथा 24 (1) के अधीन सात आवेदनों का अनुमोदन प्रदान किया। आन्ध्र प्रदेश के नये राज्य में कलैवाणी पोर्ट आडिटोरियम, अक्कायापेलम, विशाखपट्टणम में मई 22,2015 को अंतर्राष्ट्रय जैवविविधता दिवस मनाया गया। जन नाट्य मंडली, विशाख के सदस्यों द्वारा जैविक विविधता और उसकी आवश्यकता पर एक नाटक रचाया गया। ''जैवविविधता और उसके संधारणीय विकास'' थीम पर रंगीकरण/ लेख लेखन/स्लोगन लेखन जैसे विभिन्न प्रतियोगिताओं को आयोजित किया गया। समारोह के दिन, जैविविधता परिरक्षकों को उनके द्वारा जैवविविधता परिरक्षण तथा संधारणीय विकास की ओर प्रदान किये गये कार्य के लिए सम्मानित किया गया।

अरुणाचलज प्रदेश

जुलाई 17, 2015 को बोर्ड बैठक आयोजित किया गया। अब तक, 43 बीएमसीयों का गठन किया गया। वर्ष के दौरान, धारा 24 (1) के अधीन एक आवेदन का अनुमोदन प्रदान किया गया। एबो टानी, हॉल, हपोली, जिरो, निम्न सुबनश्री जिला में जैविक विविधता 2015 का अंतर्राष्ट्रीय दिवस समारोह आयोजित किया गया। विभागाध्यक्ष, ग्रामीण अध्यक्ष, पंचायत प्रतिनिधि, बीएमसी सदस्य, एनजीओ, विद्यार्थी और आम जनता सम्मिलित करके 350 से अधिक प्रतिभागी इस समारोह में भाग लिये। राज्य के अन्य जिलाओं से बीएमसी सदस्य भी इस कार्यक्रम में भाग लिये। ''संधारणीय विकास के लिए जैवविविधता'' थीम पर एक रंगीन प्रतियोगिता विवेकानन्दा केन्द्र विद्यालय, जिरो में आयोजित था। अन्य अध्ययन सामग्रीयों के साथ, एपीपीबी द्वारा अरुणाचल प्रदेश के जैवविविधता पर तथा बोर्ड की गतिविधियों पर तैयार किये गये पैम्पलेट का प्रतिभागियों के बीच वितरित किया गया। आईडीबी2015 समारोह के दिन पर 'गौन बुरास' और बीएमसी शीर्ष का आदान प्रदान सत्र आयोजित किया गया था। अपटानी प्लेटु के प्रत्येक कोने में जैवविविधता परिरक्षण पर पिक्टोरल पोस्टर तथा स्लोगन उपलब्ध बेनर प्रदर्शित किया। अपने संबंधित गॉवों में भी उसे बीएमसीयों ने प्रदर्शित किया।

असम

वर्ष 2014–16 के दौरान तीन बोर्ड बैठकें आयोजित किया गया जैसे अप्रेल 30, 20154 को 14वें बोर्ड बैठक, अगस्त 28, 2015 पर 15वें बैठक, दिसंबर 17, 2015 पर 16वें बैठक। वर्ष के दौरान,

13 ब्लाक स्तर बीएमसीयों का गठन किया गया। अब तक, ब्लाक स्तर में 186 बीएमसीयों का गठन किया गया और 5 आंचलिक/ ब्लाक स्तर पीबीआर और एक जिला स्तर पीबीआर को राज्य भर में दस्तावेजीकृत किया। बोर्ड द्वारा धारा 23 (बी) के अधीन एक आवेदन का अनुमोदन तथा धारा 24 (1) के अधीन सात अनुसंधान प्रस्ताव आवेदन का अनुमोदन प्रदान किया गया।

एसबीबी द्वारा हितधारकों के संवेदीकरण के लिए जैवविविधता पर तीन आंचलिक स्तर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। आईबीडी 2015 समारोह के दौरान 'संधारणीय विकास के लिए जैवविविधता'' पर अंग्रेजी तथा असमी भाषा में बुकलेट का विमोचन किया गया।

छत्तीसगढ़

जून 26, 2015 को राज्य राजपत्र में अधिसूचना सं.एफ.08–04/2011/10–2 दि 1.6.2015 के तहत राज्य जैवविविधता नियमों को प्रकाशित किया गया। राज्य सरकार ने आदेश सं. एफ–8–4/2011/10–2 दि अगस्त 1, 2015 के तहत तकनीकि समर्थन दल के नोडल अधिकारी के रूप में प्रत्येक जिला के डीएफओ को नामांकित किया। वर्ष 2015–16 के दौरान, 45 ग्रामीण स्तर बीएमसीयों का गठन किया गया।

राज्य सरकार के अधिकारी, जैवविविधता के क्षेत्र से विशेषज्ञ, नागरिक, विद्यार्थी और जेएफएमसी सदस्यों के लिए ''जैवविविधता के लिए संधारणीय विकास'' थीम पर समारोह आयोजित करते हुए छत्तीगढ राज्य में विभिन्न जगहों में मई 22, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर, चित्र खींचना/ रंगीकरण, लेख लिखने प्रतियोगिता भी छत्तीसगढ के जिला मुख्यालय में स्कूली बच्चों के लिए आयोजित किया गया।

गोआ

अधिसूचना सं 07/17/92/ एसटीई /पार्ट/1294 , राजपत्र सं सीरीज 2 सं.38, दि 17.12.2015 के तहत गोआ राज्य जैवविविधता बोर्ड का पुनःगठन किया गया। वर्ष के दौरान, एक बोर्ड बैठक तथा दो विशेष बोर्ड बैठकों को आयोजित किया गया। अब तक, 89 ग्रामीण स्तर बीएमसी और 1 मुनिसिपॉलिटी स्तर बीएमसी का गठन राज्य भर में किया गया जिसमें से 46 ग्रामीण स्तर बीएमसी तथा 1 मुनिसिपॉलिटी स्तर बीएमसी को प्रतिवेदित अवधि के दौरान गठन किया गया था। जीएसबीबी ने 24 पीबीआरों की तैयारी के लिए प्रक्रिया को प्रारंभ किया।

बीएमसी के सदस्यों और किसानों के लिए बीएमसी गठन पर तथा पीबीआर की तैयारी पर ओरियेन्टेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोआ राज्य जैवविविधता बोर्ड (जीएसबीबी) ने राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) के समर्थन के साथ जैविक विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2015 मनाया और इस अवसर पर, स्कूली बच्चों के लिए चित्र खीचना, रंगीकरण और लेख लिखना ऐसे विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

गुजरात

गुजरात जैवविविधता बोर्ड ने वर्ष के दौरान अगस्त 28,2015 को (ग्यारहवीं) तथा दिसंबर 9, 2015 (बारहवीं), दो बोर्ड बैठकें आयोजित किया। आज तक, गुजरात भर में

गठित बीएमसीयों की कुल संख्या 4834 तक पहुॅच गया और इसमें से 1427 ग्रामीण स्तर बीएमसी तथा 2 ब्लाक स्तर बीएमसीयों को इस वर्ष के दौरान आयोजित किया गया था। दस्ताावेजीकृत 441 पीबीआरों में से, 308 बीएमसीयों को इस वर्ष के दौरान पूर्ण किया गया। बोर्ड ने 21 आवेदनों का धारा 24 (1) के अधीन अनुमोदन प्रदान किया। भारतीयों, भारतीय संगठन, कंपनी तथा असोसियेशन से पूर्व सूचना प्राप्त हुई ।

आईबीडी 2015 के अवसर पर, मई 22, 2015 को गुजरात जैवविविधता बोर्ड, गॉधीनगर और विकसट द्वारा विकसट, अहमदाबाद परिसर में संयुक्त रूप में एक एक दिवसीय राज्य स्तर कार्यशाला आयोजित किया गया। 'गुजरात ना सस्तन प्राणियो' तथा 'गुजरात जैविक विविधता अधिनियम – 2002 'शीर्षक वाले पुस्तक गुजरात जैवविविधता बोर्ड द्वारा विमोचन किया गया। इसके अलावा, संवृद्ध जैवविविधता पर जोर देने के लिए वनस्पति तथा जीव को शोकेस किया गया और बीएमसी द्वारा जैवसंसाधन आधारित सामग्रियों को विपणन करने के लिए स्टॉल भी लगाया गया था। अहमदाबाद दूरदर्शन पर डीडी गिर्नार में प्रसारण सम्मिलित करके प्रिंट तथा एलक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इस इवेन्ट का उचित कवरेज दिया गया।

हिमाचल प्रदेश

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, हिमाचल प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड ने तीन बीएमसी यों को ग्राम पंचायत स्तर में गठित किया और चार मसौदा पीबीआर को तैयार किया। जैव सर्वेक्षण तथा जैव उपयोग के लिए अनुमोदन हेतु तीन आवेदनों को अधिनियम की धारा 23 (बी) के अधीन अनुमोदन प्रदान किया गया।

बोर्ड द्वारा शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के साथ संयोग में मई 22, 2015 को आइडीबी मनाने के लिए गेइटी थियेटर, द मॉल, शिम्ला में

शिम्ला शहर के क्षेत्रीय तथा पडोस के स्कूल के विद्यार्थी तथा अध्यापकों के लिए स्पॉट पेइटिंग प्रतियोगिता, पोस्टर प्रदर्शन, लेख लिखने प्रतियोगिता, वर्ष के थीम ''संधारणीय विकास के लिए जैवविविधता ' थीम पर नाटक, दूरदर्शन के जरिये एक घंटे सीधे फोन–इन वार्तालाप तथा थीम ''जैवविविधता'' पर ऑल इंडिया रेडियो कार्यक्रम सम्मिलित करके इवेन्टों को राज्य स्तर में आयोजित किया गया। जैवविविधता से विशेष संदर्भ के साथ, पारिस्थितिकी–लेखा परीक्षण पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किया गया। बोर्ड द्वारा मुनिसिपल कार्पोरेशन क्षेत्र, शिम्ला के अन्दर जैवविविधता असेसमेंट तथा मेनेजमेंट पर संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित किया।

परियोजना के अधीन, बीडी अधिनियम 2002 के एबीएस प्रावधानों को कार्यान्वयन करने के लिए औजार, तौर तरीका, मार्गदर्शिका को विकसित करने पर तथा जन जैवविविधता पंजी के लिए तकनीकि समर्थन दल पहचानने एक दिवसीय विवाद, हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान (एचएफआरआई) में आयोजित किया गया।

जम्मु और कश्मीर

वर्ष 2015–16 के दौरान एसआरओ–200 दि जून 29, 2015 के तहत जे और के राज्य जैवविविधता नियम को अधिसूचित किया गया। जे और के जैवविविधता बोर्ड का द्वितीय बैठक दिसंबर 8, 2015 को आयोजित किया गया था। 'लडाख की जैवविविधता' पर बुकलेट प्रकाशित किया गया। बोर्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस 2015 के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर इवेन्ट आयोजित किया गया।

झारखंड

वर्ष 2015–16 के दौरान दो बोर्ड बैठकों का आयोजन किया गया। (मई 12, 2015 तथा फरवरी 4, 2016)। राज्य सरकार ने अधिसूचना सं.वण्यप्राणी.03/2005(आंशिक)/5916 दि नवंबर 23, 2015 के तहत, राज्य सरकार ने सभी टेरिटोरियल डिविशनल अधिकारी/डुपुटी कन्सर्वेटर ऑफ फारेस्ट (वनवप्राणी विंग सम्मिलित करके) को झारखंड जैवविविधता बोर्ड के नोडल अधिकारी के रूप में घोषित किया। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना सं.वणप्राणी. 032/2005 (आंशिक)/ 5069 दि सितंबर 21, 2015 के तहत एलबीएफ को खोलने के लिए, संबंधित बीएमसी के अध्यक्ष के साथ संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता के रूप में फारेस्टरों को घोषित किया। अब तक, 135 ग्रामीण स्तर बीएमसीयों का गठन किया गया है जिसमें 69 बीएमसीयों का गठन प्रतिवेदित अवधि के दौरान किया गया।

बीएमसी की भूमिका पर बुकलेट और बीडी अधिनियम तथा नियम पर लीफलेट का विमोचन किया गया। राज्य राजधानी में मई 22, 2015 को जैविक विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस आयोजित किया गया। समारोह के अंग के रूप में, स्कूल तथा कॉलेज विद्यार्थियों के लिए लेख प्रतियोगिता और पक्षी देखने के लिए प्रकटन दौरा आयोजित किया गया था।

कर्नाटका

वर्ष के दौरान, तीन बोर्ड बैठकें आयोजित किया गया था (28, 29 व 30वॉ बैठकें), मई 27 2015, अक्तूबर 6 2015 तथा दिसंबर 8, 2015। जैवविविधता पैतृक क्षेत्र के टैग के लिए बोर्ड ने तातगुणी एस्टेट (देविका राणी रोइरिच एस्टेट) को मान्यता प्रदान किया। अब तक 4556 बीएमसीयों का गठन किया गया जिसमें से 42 बीएमसीयों को प्रतिवेदित वर्ष के दौरान गठित किया गया था। लगभग 705 से अधिक पीबीआरों का दस्तावेजीकरण पूर्ण किया गया जिसमें से 323 पीबीआरों को वर्ष 2015–16 के दौरान दस्तावेजीकृत किया गया था । बोर्ड द्वारा धारा 24 (1) के अधीन 117 आवेदनों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

कर्नाटका जैवविविधता बोर्ड द्वारा कर्नाटका वन विभाग, एनडीआरआई और खंपा की सहायता के साथ 'असेसमेंट ऑफ पापुलेशन स्टेटस अण्ड रिमूवल ऑफ बयो रिसोर्सस इन

फारेस्ट विथ स्पेशल एम्पेसिस ऑन मेडिसिनल प्लान्ट ऑफ कर्नाटका' पर परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यूएनईपी – जीईएफ–एमओईएफ–एबीएस परियोजना के अधीन, तालुक स्तर में 20 बीएमसी यों को कृषि, वन तथा आद्रभूमि जैसे तीन पारिस्थितिकी प्रणालियों पर फैले विभिन्न क्षेत्रों में गठन किया गया। 20 पीबीआरों के दस्तावेजीकरण प्रारंभ किया गया, जिसमें 16 पीबीआर को पूर्ण किया गया। ओलियोरेसिन, समुद्री सामग्री, फार्मेसिटुकल्स, चिकित्सीय पौधों के व्यापारी, बीज उद्योग, जैवप्रौद्योगिकी सेक्टार, औद्योगिक एन्जीम, खाद्य स्वाद, रंग तथा गंध, एन्जीम तथा एमुल्सिफायर उत्पादक आदि के साथ जैविक विविधता अधिनियम, एबीएस प्रावधान और अनुपालन के लिए प्रक्रिया के बारे में विचार विमर्श करने के लिए कई बैठकें आयोजित किया गया। जैवसंसाधन के आर्थिक मूल्यांकन पर राज्य स्तर कार्यशाला विभिन्न सरकारी विभागो, बीएमसी सदस्यों, शैक्षिकविद्, उद्योग तथा चिकित्सीय पौधों के व्यापारी के लिए आयोजित किया गया। वर्ष के दौरान, बोर्ड अपने उत्पादकत्व को विकसित करना जारी रखा और त्रैमासिक न्यूजलेटर प्रकाशन सम्मिलित करके, ब्लागस्पॉट और फेसबुक के जरिये सामूहिक मीडिया पर प्रकृति प्रेमियों से रीच हेतु, सामूहिक आउटरीच प्लेटफार्म निर्माण करने के लिए प्रयत्न किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस को संकेत करने के लिए लेख लेखन, वाद–विवाद, रंगीकरण, प्रश्नमंच और जैविक विविधता पर जागरूकता वॉक जैसे विभिन्न इवेन्टों को आयोजित किया गया ।

केरला

वर्ष के दौरान, जुलाई 15, 2015 को तथा नवंबर 27, 2015 को दो बोर्ड बैठकें आयोजित किया गया। नवंबर 11, 2015 को, राजपत्र जी.ओ (पी) सं.14/2015/एनवीटी के तहत केरल जैविक विविधता नियम 2008 में संशोधन को अधिसूचित किया गया। पंचायत स्तर में कुल 978 बीएमसीयों को गठित किया गया, मुनिसिपॉलिटी स्तर में 60 तथा जिला स्तर में 5 का गठन किया गया। पूर्ण किये गये 805 पीबीआरों में से, 47 पीबीआर को 2015–16 के दौरान दस्तावेजीकृत किया गया। 'ग्रीन लाइफ' न्यूजलेटर का तीन इश्यू प्रकाशित किया गया।

'संधारणीय विकास के लिए जैवविविधता ' पर क्षेत्रीय थीम के साथ कनककुण्णु पेलेस, तिरुवनंतपुरम में अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता 2015 केएसबीबी द्वारा मनाया गया। केरल के माननीय मुख्यमंत्री श्री ओमन चांडी ने इस समारोह का उद्घाटन किया और केरल राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा प्रकाशित ''बयोकल्चुरल हेरिटेज अण्ड सस्टेइनबिलिटी ' पर पुस्तक का विमोचन किया। अमेचुर तथा प्रोफशनल वर्ग के अधीन 'ग्रीन इमेजस – 2015' डिजिटल फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित किया गया था जहॉ वनजीवन, जैवविविधता, संधारणीय कृषि प्रक्रियाओं से संबंधित 1400 फोटोग्राफ प्राप्त किया गया जिसमें बहुत ही अच्छे दर्जो को पुरस्कार प्रदान किया गया।

जून 5, 2015 को विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने के लिए केएसबीबी ने केरल राज्य परिवहन कार्पोरेशन (केएसआरटीसी) के साथ सहयोग में केएसआरटीसी बसों में संदेश तथा स्टिकर छिपकाते हुए, जैवसंसाधनों के संधारणीय

उपयोग पर, पर्यावरणी मित्रीय जीवन शैली और आर्गनिक खेती आदि पर जागरूकता को फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। ओडीके साफटवेयर पर विशिष्ट केन्द्रीकरण के साथ जलवायु परिवर्तन को अनुवीक्षण करने के लिए जियोस्पेटिकल औजारों के उपयोग पर एक कार्यशाला आयोजित किया गया। अलबामा विश्वविद्यालय से डॉ उदयशंकर ने आंकडा एकत्रण के लिए मोबाइल प्रयोगों के उपयोग पर प्रदर्शन प्रस्तुत किया।

केएसबीबी के नवीकृत केएसआरटीसी बसों पर लगाये गये, जैववैविद्या रथम, एक मोबाइल जैवविविधता प्रदर्शन प्रारंभ किया गया। केरल की जैवविविधता ट्रेंड व खतरा, स्टेटस पर विवरण प्रदान करनेवाले आकर्षक पेनल के जरिये केरल के संवृद्ध जैवविविधता को इस मोबल प्रदर्शन प्रदर्शित किया। इसके अलावा, इस बस में केरल के अनोखी पारिस्थितिकी प्रणालियों के मॉडल भी रहा। फरवरी 19, 2016 को जैववैविद्या मेला के अंग के रूप में हरित संगमम, देशीय फसलों तथा किस्मों के गहरे रेंज को रखरखाव करने तथा परिरक्षण करने की ओर दृढता के कार्य करनेवाले किसानों का बैठक, जिसमें विभिन्न पंचायत, कार्पोरेशन तथा मुनिसिपॉलिटी को प्रतिनिधित्व करनेवाले बीएमसी सदस्य का बैठक, जहॉ जैविक विविधता अधिनियम तथा नियम के कार्यान्वयन से संबंधित समस्याओं का आबंटन किया गया सम्मिलित था।

जैवविविधता जागरूकता कार्यक्रम के अंग के रूप में, केएसबीबी द्वारा 2008 से बच्चों का जैवविविधता कांग्रेस आयोजित किया जा रहा है। इस कांग्रेस का लक्ष्य हमारे जीवन में जैवविविधता की मुख्यता पर जागरूकता का प्रोन्नयन तथा हमारे प्राकृतिक पैतृकता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बच्चों तथा युवाओं को प्रोत्साहित करना है। जिला स्तर में विशिष्ट थीमों पर प्रतियोगित आयोजित था और प्रथम जगह पानेवाले राज्य स्तर प्रतियोगिताओं में भाग लिये। 2015–16 के दौरान आयोजित इस प्रतियोगिता में चित्र खींचना, पोस्टर, कहानी लिखना तथा परियोजना प्रदर्शन सम्मिलित था। अगस्त 16, 2015 को ऑल इंडिया रेडियो में बच्चों के जैवविविधता कांग्रेस प्रसारण किया गया था।

केएसबीबी द्वारा विद्यार्थियों के प्रतिभागिता के साथ जैवविविधता परिरक्षण के लिए कार्यक्रमों को कार्यान्वयन करने के लिए कॉलेजों और उच्च माध्यमिक स्कूलों में '1000 जैवविविधता क्लब'' स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय परिसर, कॉलेज तथा उच्च माध्यमिक स्कूलों में जैवविविधता क्लब द्वारा जैवविविधता परिरक्षण कार्यक्रम आयोजित था। ये क्लब कॉलेज परिसरों में मानव द्वारा तैयार किये गये वन पारिस्थितिकी 'शांतिस्थल 'स्थापित किया, जहॉ जैवविविधता संवृद्ध क्षेत्रों को निर्माण करने संबंधित लक्ष्य के साथ आरईटी (अनोखा, लुप्तप्राय तथा संकट में पडे) प्रजातियों के साथ वन ग्रोव के लिए निम्नतम 10–20 सेन्ट जमीन उपलब्ध किया गया था।

संसाधनों के क्षेत्रीय परिरक्षण तथा संधारणीय प्रबंधन को समर्थन करने के लिए मौद्रिक या गैर मौद्रिक तरीका में जो भी उचित हो, अभिगम तथा लाभ आबंटन के नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जुलाई 16, 2015 को अम्मोल, कोटकल आर्य वैद्यशाला और आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन के प्रतिनिधियों के साथ, विचार विमर्श बैठक आयोजित किया गया।

उनके पूर्वजों से परंपरागत हीलों द्वारा प्राप्त किये गये अनुभव तथा क्षमता आबंटन और

आदान प्रदान प्लेटफार्म प्रदान करने के लिए, परंपरागत औषधि के क्षेत्र से परंपरागत हीलर तथा विशेषज्ञों के साथ एक नाट्टरिवुसंगमम बैठक फरवरी 21, 2016 को आयोजित किया गया था।

मध्य प्रदेश

वर्ष के दौरान, 371 ग्रामीण स्तर बीएमसी, 2 ब्लाक स्तर बीएमसी, 7 मुनिसिपॉलिटी स्तर बीएमसी तथा 1 जिला स्तर बीएमसी का गठन किया गया है। राज्य भर में 772 पीबीआरों को दस्तावेजीकृत किया गया है, जिसमें से 68 पीबीआरों को इस वर्ष के दौरान तैयार किया गया था। निम्न ब्रोचरों को प्रकाशित किया गया है

- ''जैवविविधता संरक्षण, संवर्धन एवं लाभ प्रभाजन"
- 'बुचनेनिया लांजन ' *का नर्सरी तकनीक*
- राष्ट्रीय चम्बल शरणालय का 'टर्टल विविधता '
- खतरा में पडे मध्य प्रदेश के चिकित्सीय पेड
- धान के परंपरागत किस्मों का परिरक्षण और बीएमसी, पिथेराबेड, सालना द्वारा सामूहिक बीज का स्थापना

बीएमसीयों के गठन, भूमिका तथा जिम्मेदारियों पर बुकलेट 'जैवविविधता सुरक्षा एवं प्रबंधन ' का विमोचन किया गया। नकद पुरस्कार रु.5000/– के साथ शहरीय जनसंख्या में जागरूकता निर्माण करने के लिए राज्य के प्रत्येक जिला में बोर्ड द्वारा श्रेष्ठ जैवविविधता बाग प्रतियोगिता 2015 आयोजित किया गया और विजेताओं को जमीन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। भोपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हेर्बल मेला 205 में एमपी एसबीबी के स्टॉल को श्रेष्ठ घोषित किया गया। भोपाल के 51 जिला मुख्यालयों, राज्य स्तर में 35 बीएमसों में आईडीबी 2015 मनाया गया। इसके अलावा, स्कूली बच्चों के लिए आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करते हुए बोर्ड द्वारा मौग्ली बाल उत्सव 2015 मनाया गया। बोर्ड द्वारा प्रशिक्षत मास्टर प्रशिक्षक/जैवदूद/एनजीओ के जरिये 40 जिलाओं में बीएमसी संवेदीकरण कार्यक्रम अपनाया गया।

महाराष्ट्रा

वर्ष के दौरान, महाराष्ट्रा एसबीबी ने नवंबर 9,2015 को 11वॉ बोर्ड बैठक आयोजित किया। जीआर सं.डब्ल्यूएलपी 0715/सीआर 248/एफ–1 अगस्त 5, 2015 के अधीन ''ब्लू मारमॉन' (पेपिलियो पॉलिमंस्टर) को 'राज्य तितली ' के रूप में घोषित किया गया। ग्रामीण स्तर में कुल 1745 बीएमसीयों में से, 5 ब्लाक स्तर, 34 नगर पॉलिका तथा 1 जिला परिषद स्तर राज्य में गठित किया गया ग्रामीण स्तर में 866 और नगर पॉलिका स्तर में 29 प्रतिवेदित अवधि के दौरान गठित किया गया। वर्ष के दौरान 60 पीबीआरों को पूर्ण किया गया और वे सत्यापन की प्रक्रिया के अधीन है। अधिनियम की धारा 23(बी) के अधीन सात आवेदनों को – वाणिज्यिक उपयोग या जैव उपयोग के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया। वर्ष 2015–16 के दौरान बोर्ड द्वारा निम्न ब्रोचर प्रकाशित किया गया

- मेलघाट क्षेत्र में महाशिर मछली परिरक्षण योजना
- संधारणीय विकास लक्ष्य
- अंग्रेजी और मराठी में चिकित्सीय पौधे तथा उसके घर में उपयोग से परिचय
- एबीएस 2014 पर मार्गदर्शिकाएँ
- *महाराष्ट्र का सीरोपेजिया*

प्रेस कांफरेन्स के साथ होटल सेन्टर पाइन्ट में राज्य स्तर कार्यक्रम आयोजित करते हुए मई 22, 2015 को जैविक विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और इसके लिए क्षेत्रीय मीडिया में गहरा प्रचार किया गया। 'बीडी अधिनियम 2002 का संवेदीकरण ' पर कार्यशाला तथा ग्रामसेवक तथा पंचायत, बीएमसी सदस्य, एनजीओ, विशेषज्ञ और क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए 'पीबीआर की तैयारी' पर जिला स्तर बीएमसी बैठक बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया। एमएसबीबी द्वारा जैविक विविधता अधिनियम 2002 के बारे में जागरूकता निर्माण करने के लिए राज्य में बीएमसों के बीच प्रशिक्षित मानवशक्ति प्रदान करने हेतु पॉच दिवसीय प्रशिक्षण कोर्स के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया।

मणिपूर

वर्ष के दौरान, अगस्त 21, 2015 को 13वें बोर्ड बैठक आयोजित किया गया था। अब तक, 52 बीएमसीयों का गठन किया गया और 12 पीबीआरों को दस्तावेजवीकृत किया गया जिसमें में 2 पीबीआरों को वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान दस्तावेजीकृत किया गया। एमडीएफ हॉल में मई 22, 2015 को जैविक विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। मणिपुर के 5 पहाडी जिलाओं में तथा 4 घाटी जिलाओं में चित्र खींचना, रंगीकरण आदि जैसे विभिन्न प्रतियोगिताओं को आयोजित किया और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया।

मेघालया

वर्ष के दौरान, क्रमशः मई 1, 2015 और नवंबर 27, 2015 को दो बोर्ड बैठकें आयोजित था। इस प्रतिवेदन अवधि मे अधिसूचना सं. एफओआर.57 / 2002 / वाल–2 / 639, नवंबर 24, 2015 के तहत बोर्ड के गैर सरकारी अधिकारी के रूप में दो सदस्यों का नामांकन अपनाया गया। 100 ग्रामीण स्तर बीएमसीयों को राज्य भर में गठित किया गया। मेघालया में मावप्लांग सेक्रेड ग्राव को राज्य के प्रथम जैवविविधता पैतृक क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। बोर्ड द्वारा धारा 24 (1) के अधीन 7 आवेदनों के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया। मेघालया के 11 जिलाओं में अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस, 2015 मनाया गया। 'वाइल्ड आर्चिड्स ऑफ मेघालया : एक पिक्टोरल गाइड ' पर पुस्तक तथा जैवविविधता पर पोस्टर 'क्लाउडड लेपर्ड '(मेघालया का राज्य प्राणी), बेम्बू आर्चिड, पिट्चर प्लान्ट, द्रोसेरा

पेलटाटा, पेपियोपेडिलम और आर्चिड्स ऑफ मेघालया' का विमोचन किया गया। राज्य स्तर फोटोग्राफी, लेख लेखन और चित्र खींचने जैसे विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। मेघालया बोर्ड का वेबसाइट भी इस अवसर पर लॉच किया गया। जैवविविधता पर अनुसंधान को प्रोन्नयन करने के लिए 10 अनुसंधान परियोजनाओं के लिए प्रथम अनुसंधान अनुदान प्रदान किया गया।

मिजोराम

वर्ष के दौरान, जुलाई 31, 2015 को एक बोर्ड बैठक आयोजित किया गया। अब तक 221 बीएमसीयों का गठन किया गया। राज्य भर में कुल 4 पीबीआरों को दस्तावेजीकृत किया गया। बोर्ड ने डायक्वान ओयएमए हॉल, कोलासिव में आईडीबी 2015 मनाया ।

नागालैंड

नागालैंड राज्य जैवविविधता बोर्ड ने 10 ग्रामीण स्तर बीएमसीयों का गठन किया। वर्ष 2015–16 के दौरान, एक ग्रामीण स्तर पीबीआर को दस्तावेजीकृत किया गया।

ओडिसा

ओडिसा जैवविविधता बोर्ड को अधिसूचना सं.10एफ (टीआर) 42/2015/20859/एफ7ई भुवनेश्वर, नवंबर 26, 2015 के तहत पुनःगठन किया गया था। ओडिसा जैवविविधता बोर्ड के सातवीं तथा आठवीं बैठक क्रमशः अगस्त 28,2015 तथा दिसंबर 21 2015 को आयोजित

किया गया था। अब तक, पंचायत स्तर में 437 बीएमसीयों का गठन किया गया और 59 पीबीआरों को दस्तावेजीकृत किया गया।

ओडिसा के वन विभाग के फ्रन्टलाइन कर्मचारियों के लिए तथा बीएमसी के सदस्यों के जैसे मुख्य हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जागरूकता निर्माण करने के लिए तथा जैवविविधता में ज्ञान के बुनियादी स्तर को विकसित करने के लिए, बोर्ड ने विद्यार्थियों के लिए प्राकृतिक वॉक कार्यक्रम, जैविक विविधता अधिनियम तथा नियम के बारे में उन्हें संवेदीरकण करने के लिए वैज्ञानिकों तथा शैक्षिकविदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 'ओरिसा के एन्डेमिक पौधे' और ''ओडिसा के कार्निवोरोस पौधे ' पर दो पोस्टर तथा 'पेंगोलिन : परिरक्षण के लिए तत्काल बुलावा' और ओडिसा में ओटर्स के पारिस्थितिकी और परिरक्षण ' पर दो ब्रोचर तैयार किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो में 'बीडी अधिनियम के बारे में नीति तथा विधि' और 'ओडिसा के जैवविविधता का सामान्य पहलु' पर जागरूकता कार्यक्रम प्रसारित किया गया।

'ओडिसा में संधारणीय विकास के लिए जैवविविधता का परिरक्षण' पर कांफरेन्स आयोजित करते हुए तथा राज्य के विभिन्न भागों में 20 वन संभागों द्वारा सेमिनार, स्कूली बच्चों, वन गार्ड और फारेस्टर प्रशिक्षु आदि के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हुए आईबीडी 2015 को मनाया गया।

पंजाब

सितंबर 29, 2015 को पंजाब जैवविविधता बोर्ड के सातवीं बैठक आयोजित किया गया था। वर्ष के दौरान, छ ब्लाक स्तर बीएमसीयों का गठन किया गया जबकि 9 जिला स्तर पीबीआरों का अंतिम मसौदा तैयार किया गया।

सदस्य सचिव, पंजाब जैवविविधता बोर्ड को एमओईएफ और सीसी, एनबीए और यूएनडीपी द्वारा घोषित भारतीय जैवविविधता पुरस्कार, 2016 के लिए जूरी सदस्य के रूप में सदस्य सचिव, पंजाब जैवविविधता बोर्ड को नामांकित किया गया। फरवरी 27, 2016 को 'फरोलर विविधता ' पर प्रदर्शन आयोजित किया गया। पीबीआर की तैयारी के लिए 11 गॉवों में सहभागिता संसाधन असेसमेंट अभ्यास आयोजित किया गया। शैक्षिक संस्थाएँ (विश्वविद्यालय, कॉलेज तथा स्कूल), गैर सरकारी संगठन और ग्रामीण बीएमसीयों के साथ सहयोग में राज्य भर में बीस कार्यक्रमों को आयोजित किया गया ।

जैविक जिला प्रशासन, जैवविविधता प्रबंधन समितियॉ, विश्वविद्यालय, सक्रिय एनजीओ आदि के साथ सहयोग में राज्य भर में पूरे हफते विभिन्न गतिविधियों को अपनाते हुए जैविक विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस (मई 22) मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस, 2015 को मनाने के लिए, जैवविविधता तथा जैव–संसाधनों को परिरक्षण करने के लिए आम जनता के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, विख्यात अंग्रेजी तथा पंजाबी अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया। पुष्पा गुजराल विज्ञान शहर (पीजीएससी), कपूरथला के साथ संयोग में, एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें जिला/गॉव स्तर बीएमसीयों में से 45 से अधिक सदस्य, सरकारी लाइन विभागों में से प्रतिनिधि जिसके अलावा 400 विद्यार्थी तथा अध्यापक इसमें भाग लिये। अनुभवों को बॉट लेने के लिए बीएमसी सदस्यों के लिए विशेष आदान प्रदान सत्र, फिल्म शो चलाना और 'क्लइमेट चेंज थियेटर' में जैवविविधता पर डाकुमेंटरी इस समारोह के भाग बने। स्कूली बच्चों के लिए नाटक तथा रंगीन प्रतियोगिताएँ, पुष्पा गुजराल साइन्स सिटी के विभिन्न वैज्ञानिक गेलरियों में दौरा तथा देशीय पौधों का रोपण आयोजित था। जैवविविधता परिरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधन के संधारणीय उपयोग संबंधित संदेश को फैलाने के लिए पुनःढॉचाकृत 'स्नेक अण्ड लेडर' जैसे मनोरंजक खेल तथा प्रदर्शन के जरिए पंजाब के जैवविविधता के विरासत को समझने के लिए एक इन्टरेक्टिव प्रदर्शन भी आयोजित किया गया था।

राजस्थान

पंचायत स्तर में बत्तीस बीएमसीयॉ तथा ब्लाक स्तर में एक बीएमसी को अब तक गठित किया गया। रतनगार्ह, चुरु जिला में मई 22, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस मनाया गया जिसमें माननीय वन, पर्यावरण तथा खनन के लिए माननीय मंत्री मुख्य अतिथि रहा और जैवविविधता पर मार्गदर्शिकाओं पर पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर, सरपंच और वार्ड पंच जैसे क्षेत्रीय बॉडियों से लगभग 200 प्रतिभागियों को कार्यशाला व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा जैवविविधता न्यूजलेटर प्रकाशित किया गया।

सिक्किम

अधिसूचना सं.50 / होम / 2015, अक्तूबर 13, 2015 के तहत सिक्किम जैवविविधता बोर्ड का निर्माण किया गया। 25 बीएमसीयों में से, इस वर्ष में 12 बीएमसीयों का तथा एक पीबीआर का गठन किया गया।

जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मई 22, 2015 से मई 24, 2015 तक मनाया गया था। कार्यक्रम का हाइलाइट था एक महान स्ट्रीट गेम 'जैवविविधता मार्च' जिसे स्टॉर हॉल के बाहर एमजी मार्ग पर आयोजित किया गया जहॉ व्यक्ति खेल सकते है और जैवविविधता को समझते हुए उत्तेजक पुरस्कार जीत सकते है। बोर्ड द्वारा एनजीओ के साथ सहयोग में स्टॉरहॉल गेगटॉक में बीज तथा मुहर पर तीन दिवसीय प्रदर्शन आयोजित था जिसमें राज्य के संवृद्ध जैवविविधता को प्रदर्शित किया गया।

तमिलनाडु

जी.ओ (एमएस) सं.36, पर्यावरण तथा वन (एफआर. 5) विभाग दि फरवरी 29, 2016 के तहत तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु जैवविविधता बोर्ड के कार्यकाल को एक वर्ष तक (या) नया बोर्ड के पुनःगठन, जो भी पूर्व हो तक विस्तार किया। राज्य में चार क्षेत्रों को जैवविविधता पैतृक क्षेत्र के रूप में पहचाना गया। अण्णा इंस्ट्टियूट ऑफ मैनेजमेंट में मई 22, 2015 को एक दिवसीय कार्यशाला के जरिये अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस मनाया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन प्रो एम.एस. स्वामिनाथन द्वारा किया गया और संस्थाओं, जैवविविधता परिरक्षकों के क्षेत्र में विशेषज्ञ खूब भाग लिये। जैवविविधता परिरक्षण

के लिए संस्थानीय मेकनिसम पर चेन्नई में वरिष्ठ अधिकारियों के लाभार्थ एक विशेष प्रकटन भाषण आयोजित किया गया।

तेलंगाना

2015–16 के दौरान, तेलंगाना राज्य सरकार ने तेलंगाना राज्य में अधिनियम को कार्यान्वयन करने के लिए जी.ओ एमएस सं. 23, पर्यावरण, वन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (फॉर 2) विभाग, दि मई 14, 2015 के तहत जैवविविधता अधिनियम 2002 (केन्द्रीय अधिनियम सं.18/2003) की धारा 63 (1) के अधीन 'तेलंगाना राज्य जैविक विविधता नियम, 2015' अधिसूचित करते हुए आदेश जारी किया। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, तेलंगाना राज्य जैवविविधता बोर्ड के सदस्य जनवरी 11, 2016 को मिले। अब तक, 1443 ग्रामीण स्तर बीएमसी, 12 ब्लाक स्तर बीएमसी तथा 4 जिला स्तर बीएमसी का गठन किया गया और 9 पीबीआरों को राज्य में दस्तावेजीकृत किया गया। बीडी की धारा 23 (बी) के अधीन 13 आवेदनों का अनुमोदन प्रदान किया गया। टीएसबीडीबी, अब तक तीन अभिगम तथा लाभ आबंटन समझौताओं में प्रवेश किया। बोर्ड द्वारा पॉच विशेषज्ञ समिति बैठकों को आयोजित किया गया।

जैवविविधता अधिनियम तथा नियम, बीएमसी का गठन, पीबीआर आदि की तैयारी, पीर से पीर अध्ययन पर विभिन्न हितधारकों के लिए छः सौ इक्कावन प्रशिक्षण तथा जागरूकता कार्यक्रम तथा राज्य के अन्दर तथा राज्य के बाहर आदान प्रदान दौरा आयोजित किया गया। बीएमसी स्तर में जन जैवविविधता पंजी (पीबीआर) तथा जिला स्तर में व्यापार करने योग्य जैव संसाधनों पर दस्तावेजीकरण की तैयार पर ''फाउन्डेशन फॉर रीवाइटलाइसेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन्स (एफआरएलएचटी)'' बंगलुरू से विशेषज्ञों द्वारा चयनित एजेन्सियों/ संगठनों के लिए दो दिवस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जी.पी. बिर्ला विज्ञान केन्द्र, हैदराबाद में एक ओरियेन्टेशन कार्यशाला का आयोजन, अभिगम लाभ आबंटन प्रावधानों पर केन्द्रीकरण के साथ जैविक विविधता अधिनियम तथा नियम के कार्यान्वयन को सुदृढ करने के लिए जैवप्रौद्योगिकी कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ किया गया। यूएनईपी–जीईएफ–एमओईएफ–एबीएस परियोजना के अधीन जैविक संसाधनों से संबंधित परंपरागत ज्ञान को मेडल जिला के तुनुकी गॉव और रामायणपेट के हीलरों की सहायता के साथ, जॉडिंस, मलेरिया, शक्कर नियंत्रण तथा हड्डी सेटिटंग के लिए उपचार के रूप में दस्तावेजीकृत किया गया। तेलंगाना राज्य जैवविविधता बोर्ड ने मदनपल्ली बीएमसी, रंगारेड्डी जिला में दौरीया किया। गॉव के बीएमसी सदस्यों तथा सरपंच के साथ सदस्य सचिव तथा क्षेत्रीय जैवविविधता सहसमन्वयक ने खूब आदान प्रदान किया और उन्होंने इस कार्यक्रम में महिलाओं के प्रतिभागिता का सराहना किया। ग्रामीण व्यक्तियों को जैवविविधता के मुख्यता पर तथा बीएमसी की भूमिका पर अपडेट किया गया। आईसीएआर संस्थाएँ, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ आइलसीड्स रिसर्च (आईआईक्यूआर) और कृषि अनुसंधान प्रबंधन का राष्ट्रीय अकादमी (एनएएआरएएम) को अंतर्निहित करते हुए जून 16, 2015 को गोलकोन्डा होटल, हैदराबाद में 2015 को जैवविविधता

अधिनियम 2002 तथा हालही में गठित संबंधित राज्य नियमों के बारे में मीडिया व्यक्तियों के बीच जागरूकता निर्माण करने के लिए अभिगम व लाभ आबंटन (एबीएस) पर एक दिवसीय राज्य स्तर मीडिया कार्यशाला बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया। जैवविविधता बोर्ड के गतिविधियों को प्रचार करने के लिए मई 22, 2015 को तेलंगाना राज्य जैवविविधता बोर्ड वेबसाइट लॉच किया गया। समय समय पर टीएसबीडीबी गतिविधियों पर विवरण आबंटन करने के लिए ''तेलंगाना राज्य जैवविविधता बोर्ड ' द्वारा विशिष्ट रूप से फेसबुक पृष्ठ का प्रचालन किया गया। आईबीडी 2015 के अवसर पर, बोर्ड द्वारा प्राकृतिक लेखक कार्यशाला और ''इंसेक्ट डाइवर्सिटी ऑफ तेलंगाना स्टेट' पर डिजिटेल फोटोग्रामी प्रतियोगिता जैसे विभिन्न इवेन्ट आयोजित किया गया। बीएमसीयों को पहचाना गया और जैविक संसाधनों के परिरक्षण तथा संधारणीय उपयोग के लिए श्रेष्ठता पुरस्कार के साथ पुरस्कृत किया गया।

त्रिपुरा

त्रिपुरा जैवविविधता बोर्ड ने जनवरी 6, 2016 को एक बोर्ड बैठक आयोजित किया। मार्च 31, 2016 को, 223 ग्रामीण स्तर बीएमसीयों तथा 40 ब्लाक स्थर बीएमसीयों को राज्य में गठित किया गया जिसमें से 44 ग्रामीण स्तर बीएमसी तथा 40 ब्लाक स्तर बीएमसीयों को 2015–16 के दौरान गठित किया गया। अब तक कुल 198 पीबीआरों को दस्तावेजीकृत किया गया, जिसमें से 72 पीबीआरों को इस वर्ष तैयार किया गया। धारा 24 (1) के अधीन एक आवेदन के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।

आईडीबी 2015 के अवसर पर, वनस्पति शास्त्र विभाग, वनीकरण तथा जैवविविधता विभाग, त्रिपुरा विश्वविद्यालय और जीवन विज्ञान विभाग, होली क्रास कॉलेज अगरताला के साथ संयोग में त्रिपुरा जैवविविधता बोर्ड ने ' संधारणीय विकास के लिए जैवविविधता'' पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया।

उत्तरखंड

वर्ष के दौरान उत्तरखंड जैवविविधता बोर्ड का दो बैठक आयोजित किया गया था। (जून 16, 2015 को नौवीं बैठक, मार्च 30, 2016 को दसवीं बोर्ड बैठक)। अब तक गठित 765 ग्रामीण स्तर बीएमसीयों में से, इस वर्ष में 22 बीएमसीयों को गठित किया गया । छ पीबीआरों को पूर्ण किया गया। जबकि 22 पीबीआरों की दस्तावेजीकरण प्रक्रियाकरण के अधीन है। धारा 23 (बी) के अधीन 3 आवेदनों को बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।

आईडीबी 2015 के अवसर पर, वन अनुसंधान तथा शिक्षा के लिए परिषद (आईसीएफआरई) में उत्तरखंड जैवविविधता बोर्ड द्वारा राज्य स्तर समारोह आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी, भारतीय वन सेवा के प्रोबेशनर, वन विभाग के फ्रन्टलाइन कर्मचारी, विभिन्न जिलाओं के बीएमसीयों के सदस्य, कंफडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रिज

(सीआईआई), उत्तरखंड चेप्टर के सदस्य, उद्योगों के अन्य प्रतिनिधि, प्रिंट तथा एलक्ट्रानिक मीडिया सम्मिलित करके तीन सौ पचास प्रतिभागी इस समारोह में भाग लिये। ''जैविक विविधता अधिनियम 2002 परिप्रेक्ष्य समस्या और कार्यान्वयन' पर वन प्रशिक्षण अकादमी, हल्डवानी में बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

उत्तर प्रदेश

क्रमशः फरवरी 26, 2015 तथा फरवरी 16, 2016 को 16वें तथा 17वें बोर्ड बैठक आयोजित किया गया था। वर्ष के दौरान छियासठ बीएमसीयों का गठन किया गया जिससे राज्य में कुल बीएमसीयों की संख्या 98 बन गया और अब तक कुल 83 पीबीआरों को दस्तावेजीकृत किया गया,73 पीबीआरों को इस वर्ष पूर्ण किया गया। घरियाल पुनर्वास केन्द्र, कुकरेइल, लखनउ को जैवविविधता पैतृक क्षेत्र के रूप में पहचाना गया। राष्ट्रीय जैवविविधता अधिनियम 2002 की धारा 41(2) के अधीन पॉच आवेदनों को अनुमोदन प्रदान किया गया। वर्ष 2015–16 के दौरान बोर्ड द्वारा निम्न पोस्टर/ब्राउचर/फलायर/ पुस्तकों को प्रकाशित किया गया।

- ग्रीन केलेन्डर 2015 पर पोस्टर
- जमुनापारी पशु, बाबरी पशु, पोनवार पशु, खेरीगार्ह पशु, गंगाटेरी पशु, भदवावरी भैंस, लाल वन फाउल, जमुनापुरी नूवर मूली, रामनगर जेइन्ट ब्रिंजाल, कलनामक चावल, उ प के राज्य चिन्ह, उ प में बल्ला के विविधता और इन्डोपिपटेडेनिया औडेनसिस पर फलायर्स
- 'जैविविधता : उत्तर प्रदेश के जीवित कोष ','राजभवन के पक्षी ', ' उ प्र के पक्षी ' गारैया चिर्पी पक्षी ' शीर्षक वाले पुस्तकें

उत्तर प्रदेश एसबीबी ने 'खाद्य चेइन के भाग है मेंढक ' पर रंगीन प्रतियोगिता, 'तालाबों में मेंढक' पर रंगोली और 'मेंढक' पर खुले प्रश्न मंच के जरिये स्कूली विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित करते हुए अप्रेल 26, 2015 को 'सेव द फ्राग डे' मनाया । जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर, उ प्र जैवविविधता बोर्ड, लखनउ ने मई 17 से मई 21 2015 तक 'जैवविविधता त्योहार' आयोजित किया, जिसने युवा को विभिन्न प्रतियोगिताओं तथा गतिविधियों के जरिये अपने सोच तथा संरचनात्मकता को अभिव्यक्त करने के लिए अवसर प्रदान किया। इसके अलावा, 'संधारणीय विकास के लिए जैवविविधता' पर राष्ट्रीय कांफरेन्स भी आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न अनुसंधान/ संगठन, विश्वविद्यालय, उ प्र वन विभाग तथा अन्य राज्यों से अधिकारी व गैर–सरकारी संगठन आदि सम्मिलित करके 350 प्रतिनिधि सक्रिय भाग लिये। ''संधारणीय विकास के लिए जैवविविधता' पर 222 पंक्ति का विशेषांक का विमोचन किया गया जिसमें 32 जैवविविधता तथा संधारणीय विकास संबंधित लेख उपलब्ध था। जैवविविधता पर 10 मिनट का फिल्म भी प्रदर्शित किया गया। प्लास्टिक उपयोग से पर्यावरण डीग्रेडेशन पर जनता के बीच जागरूकता निर्माण करने के लिए जून 5, 2015 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। आम जनता के सदस्यों ने 'उत्तर प्रदेश में पॉलिथीन का उपयोग नहीं '' लिखित कपडा पर हस्ताक्षर किया। लगभग 1000 जैवडीग्रेडेबल थैलियों को प्लास्टिक थैलियों के लिए परिवर्तन किया गया और 250 पौधों

को वितरित किया गया। उत्तर प्रदेश जैवविविधता बोर्ड (यूपीएसएसबी) और लखनउ विश्वविद्यालय के समर्थन के साथ सीईई उत्तर द्वारा 'प्रकृति बस ', एक मोबाइल प्रदर्शन का कार्यान्वयन किया गया। छ जिलाओं को आच्छादित करके एक लाख से अधिक आगन्तुक दर्ज करने के बाद, इस प्रकृति बस विभिन्न स्कूलों में प्रवेश संबंधित द्वितीय फेस में प्रवेश किया। बोर्ड ने गिद्ध की मुख्यता पर 15000 फलायर तथा 5000 बुकलेट वितरित करते हुए, आम जनता तथा स्कूल, कॉलेज, संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में महान जागरूकता निर्माण करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों को जागरूकता कॉरों के जरिये, जैवविविधता तथा वनप्राणी परिरक्षण प्रयोगशाला, जूआलजी विभाग, लखनउ विश्वविद्यालय तथा क्षेत्रीय विज्ञान भाहर, अलिगंज, लखनउ के साथ सहयोग में सितंबर 1 से 5, 2015 तक अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध दिवस मनाया। अक्तूबर 1 से 7, 2015 तक वन प्राणी हफता, फरवरी 2, 2016 को विश्व आद्रभूमि दिवस और मार्च 20, 2016 को विश्व गौरैया दिवस बोर्ड द्वारा मनाया गया।

पश्चिम प्रदेश

वर्ष के दौरान, अगस्त 9, 2015 को (31वॉ) तथा जनवरी 7, 2016 को (32वॉ), दो बोर्ड बैठकों का आयोजन किया गया। 159 ब्लाक स्तर तथा 33 मुनिसिपॉलिटी स्तर बीएमसीयों गठन में से, 10 ब्लाक स्तर तथा 3 मुनिसिपॉलिटी स्तर बीएमसीयों का गठन इस वर्ष किया गया। अब तक, 90 पीबीआर को राज्य भर में दस्तावेजीकृत किया गया जिसमें 14 पीबीआरों को 2015–16 के दौरान तैयार किया गया। बोर्ड द्वारा धारा 23 (बी) के अधीन आवेदन का अनुमोदन प्रदान किया गया।

पश्चिम बंगाल एसबीबी ने कोलकाता में मई 22, 2015 को आईबीडी मनाया। 11 बीएमसीयों ने भी अपने जिला में आईबीडी–2015 को मनाया। जैव–यात्रा पर चार कार्यक्रमों को, स्कूली विद्यार्थियों को आसपास के जैवविविधता के साथ परिचित कराने हेतु बोटॉनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ सहयोग में आयोजन किया गया। जैवविविधता परिरक्षण में बेहतर अंशदान के लिए जैवविविधता पुरस्कार 2016 प्रदान किया गया। बोर्ड ने समूह/व्यक्तियों के स्वामित्व अधिकारों को स्थापित करने के लिए पीपीवी और एफआर अधिनियम के अधीन चावल किस्मों को पंजीकृत करना सरल किया है। बोर्ड ने परिरक्षण, राज्य के जैविक संपत्ति का संधारणीय उपयोग को समर्थन प्रदान करने के लिए संवृद्ध खजाना के लिए डाटा

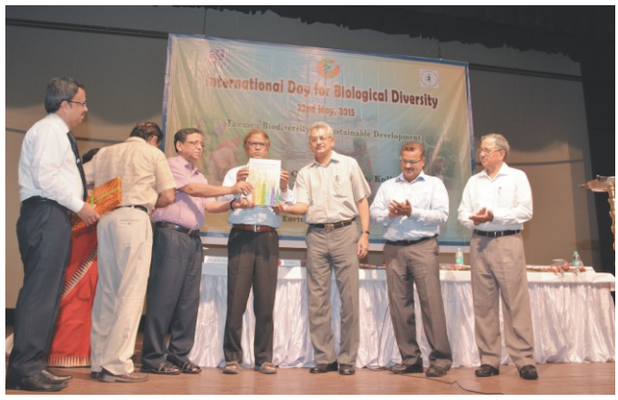

को क्रमवार तथा पक्का करने की दृष्टिकोण के साथ संबंधित क्षेत्रों में जैवविविधता के दस्तावेजीकरण तथा अनुसंधान गतिविधियों को निष्पादित तथा निधि प्रदत्त किया।

अध्याय 10

गतिविधियाँ व उपलब्धियाँ

1. अप्रेल 17, 2015 को पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक असोसियेशन (एडीएमए) के प्रतिनिधि तथा प्राधिकरण के सदस्यों के बीच विचार विमर्श बैठक श्री हेम पाण्डेय, अध्यक्ष, एनबीए की अध्यक्षता के अधीन आयोजित किया गया। सदस्यों ने एनटीसी, मूल्य वर्धित सामग्री आदि जैसे एडीएमए के संबंध में बीडी अधिनियम से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श किया। एडीएमए के प्रतिनिधियों ने, एडीएमए द्वारा उठाये गये विभिन्न समस्याओं पर प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा प्रदान किये गये स्पष्टीकरण के लिए सराहना अभिव्यक्त किये।

2. अप्रेल 25, 2015 को हैदराबाद में भारत के राष्ट्रीय बीज असोसियेशन द्वारा आयोजित एबीएस मार्गदर्शिकाओं पर पेनल विचार विमर्श में एनबीए के प्रतिनिधि भाग लिये। एनबीए अधिकारियों ने हितधारकों को बीडी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, बीडी नियम तथा अभिगम और लाभ आबंटन नियंत्रणों पर मार्गदर्शिकाओं को स्पष्ट किया।

3. एमओईएफ और सीसी द्वारा जारी दिसंबर 17, 2014 की अधिसूचना के अनुसार, आईटीपीजीआरएफए के अनुलग्नक 1 में सूचीबद्ध फसलों के छूट के बारे में विचार विमर्श करने के लिए, श्री हेम पाण्डेय, अतिरिक्त सचिव, एमअ्रईएफ और सीसी की अध्यक्षता के अधीन अगस्त 13, 2015 को बैठक आयोजित किया गया था जिसमें एमओईएफ और सीसी, डीएसी और एनबीए के अधिकारी भाग लिये और धारा 6 के अधीन छूट विस्तार करने के लिए डीएसी द्वारा उठाये गये समस्याओं पर विचार विमर्श किये।

4. कंफडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)–संधारणीय विकास के लिए श्रेष्ठता का आईटीसी केन्द्र ने नई दिल्ली में सितंबर 15, 16 2015 को 10वीं संधारणीयता सम्मिट आयोजित किया जिसमें सचिव, एनबीए ने एबीएस पर सत्र में पेनेलिस्ट के रूप में भाग लिया।

5. अक्तूबर 13, 2015 को नई दिल्ली में पीपीवीएफआरए की विनती पर, अभिगम, लाभ आबंटन और सामान्य क्षेत्र जहॉ सहक्रिया की उपलब्धि हो सकें, को खोजने, अन्य संबंधित गतिविधियॉ जैसे आपसी समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए एनबीए द्वारा एनबीए और पीपीवीएफआरए के बीच इन्टरफेस, आयोजित किया गया था।

6. अक्तूबर 6, 2015 को चेन्नई में एबीएलई द्वारा आयोजित भारतीय जैवप्रौद्योगिकी

उद्योग में नवीनता और आईपी की भूमिका पर विचार विमर्श में एनबीए के प्रतिनिधि भाग लिये। तकनीकि अधिकारी (बीएस) ने धारा 6 की ओर विशेष संदर्भ के साथ जैविक विविधता अधिनियम के बारे में तथा जैवप्रौदयोगिकी उद्योगों में उसकी प्रयोज्यता के बारे में समीक्षा प्रस्तुत किया।

7. अप्रेल 6 व 7, 2015 को आयोजित पर्यावरण तथा वन मंत्री कांफरेन्स में एमओईएफ और सीसी तथा एनबीए द्वारा जैवविविधता पर सत्र संयुक्त रूप से आयोजित किया। इस बैठक में विभिन्न राज्य जैवविविधता बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्य भाग लिये जहॉ जैविक विविधता अधिनियम 2002 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मुख्य समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता माननीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री ने किया और कांफरेन्स के प्लेनरी सत्र में मुख्य कार्यवाहियों को अपनाया गया।

8. एनबीए ने अगस्त 25 तथा 26 2015 को नईदिल्ली में राज्य जैवविविधता बोर्डों के 10वीं राष्ट्रीय बैठक आयोजित किया। इस बैठक में विभिन्न राज्य जैवविविधता बोर्डों के सदस्य सचिव तथा अध्यक्ष भाग लिये और बीडी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर अपनाये जानेवाले गतिविधियॉ तथा अब चालू अभ्यासों पर विचार विमर्श किया। इस बैठक का उद्घाटन श्री अशोक लवासा, आईएएस, सचिव, एमआईईएफ और सीसी द्वारा किया गया जिन्होंने एनबीए द्वारा प्रकाशित बीडी अधिनियम, नियम और अधिसूचना का काम्पेडियम द्वितीय संस्करण का विमोचन किया। अगस्त 26, 2015 को समापन सत्र में माननीय मंत्री श्री प्रकाश जवडेकर, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उपस्थित होकर शोभा बढाये। उन्होंने भारत जैवविविधता पुरस्कार 2016 के लिए नामांकन को घोषित किया, जो मंत्रालय तथा यूएनडीपी–भारत के बीच सहयोगपूर्ण फहलकदमी है। उन्होंने मराठी तथा हिन्दी में बीआईओएफआईएन पर तथा 2014–15 में एनबीए की उपलब्धियों पर विवरण प्रोचर का विमोचन किया।

9. एमओईएफ और सीसी, नई दिल्ली को दिसंबर 7 से 10, 2015 तक एमओईएफ और सीसी, नई दिल्ली में 'एची जैवविविधता लक्ष्य 11 और 12 की उपलब्धि पर दक्षिण, केन्द्रीय तथा पश्चिम एशिया के लिए क्षमता निर्माण' पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने में एनबीए ने समर्थन प्रदान किया। बैठक, में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुवैत, यूएई, भूतान, नेपाल, श्रीलंका, जोर्डन, ओमन, लेबनॉन और ईरान जैसे 25 देशों से 40 प्रतिनिधि भाग लिये। इस दल ने सुलतानपुर पक्षी शरणालय में, सुरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन पर सीधे ज्ञान प्राप्त करने के लिए दौरा किया।

10. एनबीए द्वारा एमओईएफ और सीसी, नई दिल्ली में सितंबर 15, 2015 को भारत में प्राकृतिक इंडेक्स पर पाइलेट अध्ययन के विकास से संबंधित प्रारंभ बैठक आयोजित किया गया। इस बैठक श्री हेम पाण्डेय, विशेष सचिव, एमओईएफ और सीसी तथा

श्री टॉम राधल, सचिव जनरल, जलवायु तथा पर्यावरण मंत्रालय, नार्वे सरकार की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित किया गया।

11. अक्तूबर 1, 2015 को राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण के बारहवीं स्थापक दिवस एनबीए, चेन्नई में मनाया गया। इस अवसर पर, एनबीए ने ऑनलाइन में आवेदकों द्वारा शुल्क भुगतान करने संबंधित सुविधा को लॉच किया। ऐसे ही जैविक विविधता अधिनियम 2002 के विशिष्टताओं के बारे में प्रिंट मीडिया में गहरा प्रचार एनबीए द्वारा किया गया।

12. जनवरी 18 और 19, 2016 को चेन्नई में तथा जनवरी 20 से 22 2016 तक नई दिल्ली में सीबीडी वालन्टी पीर पुनरीक्षण (वीपीआर) प्रक्रिया एनबीए द्वारा आयोजित किया गया, जिसका लक्ष्य एनबीएपी प्रक्रिया में हितधारकों से कुछ अतिरिक्त विवरणों के साथ डेस्क अध्ययन पर निर्माण है।

13. डीजीएफटी, आईसीएआर, सीएसआईआर, डीबीटी, पीपीवीएफआरए, एमओईएफ औरसीसी आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा गठित समितियों में एनबीए ने सक्रिय भाग लिया और अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जैविक विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत इनपुट प्रदान किया।

अध्याय 11

कानूनी तथा नियंत्रणीय रूपरेखा का पुनरीक्षण

11.1 जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के अधीन प्राणियों तथा पौधों के संकट में पडे प्रजातियों पर अधिसूचना ।

जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 38 संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श में केन्द्र सरकार को निकट भविष्य में लुप्तप्राय होने की स्थिति में रहनेवाले पौधों तथा प्राणियों को अधिसूचित करने का तथा किसी कार्य के उसके एकत्रण को निषिद्ध या नियंत्रण करने का तथा उन प्रजातियों को पुनर्वास दिलाने तथा परिरक्षण करने के लिए उचित कदम लेने का अधिकार प्रदान करता है।

पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी), भारत सरकार ने संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श में 16 राज्यों में तथा 2 संघ राज्यों में निकट भविष्य में लुप्तप्राय होने की स्थिति में रहनेवाले या लुप्तप्राय होने की स्थिति में रहनेवाले प्रजातियों को अधिसूचित किया है नाम से बिहार, गोआ, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपूर, मेघालया, मिजोराम, ओडिसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरखंड, पश्चिम बंगाल, अंदमान और निकोबार द्वीप, दाम और दियु (प्रतिवेदित अवधि के दौरान एमओईएफ औरसीसी एस 0116 (ई) दि अप्रेल 29 2015 के अधीन अधिसूचित) तथा डाद्रा और नगर हवेली। ये अधिसूचनाएँ राज्य जैवविविधता बोर्ड (एसबीबी) को अधिसूचित प्रजातियों से अभिगम को नियंत्रित करने तथा उन प्रजातियों को पुनर्वास दिलाने तथा उन्हें परिरक्षण करने अधिकार प्रदान करता है।

11.2 कानूनी सेल

वर्ष 2014–15 के दौरान हस्ताक्षरित एबीएस समझौते

समझौतो में प्रवेश किये गये कुल आवेदन					
वर्ष	प्रारूप 1	प्रारूप 2	प्रारूप 3	प्रारूप 4	कुल
2015-2016	31	1	51	2	85

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण द्वारा या के विरुद्ध वर्तमान में जारी मुकद्दमे

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण के लिए उपस्थित होनेवाले काउन्सल को सहायता करने के लिए तथा कई न्यायालय/अधिकरणों के सामने राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण/पर्यावरण, वन तथा जलवायु मंत्रालय के विरुद्ध या द्वारा मुकद्दमों के साथ व्यवहार करने के लिए कानूनी सेल जिम्मेदार होंगे। जैविक विविधता अधिनियम 2002 तथा उपरोक्त अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी आदेश या निर्देशों के उल्लंघन से संबंधित प्रकरणों में एनबीए द्वारा सक्रिय कदम लिया जा रहा है।

विभिन्न न्यायालय/ अधिकरणों के सामने एनबीए के निलंबित प्रकरणों की सूची

विभिन्न न्यायालयों के सामने 14 प्रकरण निलंबित है और अनुकरण जारी है

1. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय (3 प्रकरण)
2. कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय, धारवाड बेंच (2 प्रकरण)
3. प्रिसिपल जेएमएफसी न्यायालय, धारवाड (1 प्रकरण)
4. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर बेंच (1 प्रकरण)
5. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (दक्षिण अंचल), चेन्नई (4 प्रकरण)
6. माननीय बंबई उच्च न्यायालय, नागपुर बेंच (1 प्रकरण)
7. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (केन्द्रीय अंचल), भोपाल (1 प्रकरण) और
8. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली (1 प्रकरण)

सूचनाधिकार 2005

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आवेदन तथा अपीलों को अक्षरशः सूचनाधिकार अधिनियम 2005 के साथ अनुपालन में कानूनी सेल द्वारा प्रक्रियाकृत किया गया तथा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलेट प्राधिकारी द्वारा, जैसे प्रकरण हो, कानूनी सेल की सहायता के साथ निपटान किया गया।

समझौता का मसौदा

कानूनी सेलों के अन्य कार्यकलापों के बीच, प्रशासनिक संभाग से संबंधित एबीएस समझौते, मेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टेन्डिंग और अन्य दस्तावेजों का लीगल वेटिंग एक और कार्यकलाप है।

राज्य जैवविविधता नियम

जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 63 के अधीन उन्हें प्रदत्त अधिकारों के अनुसरण में विभिन्न राज्यों द्वारा तैयार किये गये राज्य जैविक विविधता नियमों का एनबीए द्वारा पुनर्विलोकन किया गया। राज्य जैविक विविधिता नियमों का पुनर्विलोकन या तो एनबीए द्वारा संज्ञान में किया गया या संबंधित राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन के लिए विनती पर आधारित करके किया गया। अब तक, कानूनी दल द्वारा 22 राज्य नियमों का पुनर्विलोकन किया गया जैसे आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रा, मणिपूर, मेघालया, ओडिसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, मणिपुर, गुजरात तथा तमिलनाडु।

अध्याय 12

प्राधिकरण का वित्त तथा लेखा

NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY
TARAMANI, CHENNAI -600113

Receipts and Payments Account for the year ended 31 st March, 2016

(Amount in Rs)

Receipts	Current Year: 2015-16		Previous Year: 2014-15		Payments	Current Year: 2015-16		Previous Year: 2014-15
	Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan		Plan	Non-Plan	Plan
I. Opening-Balances:					**I. Expenditures:**			
a) Cash in hand	50,000	0	30,000	0	a) Establishment-Expenses	3,20,14,017	0	3,19,15,212
b) Bank Balances:					b) Administrative-Expenses	6,37,06,532		6,32,22,323
(i) In Current A/c	0	0	0	0				
(ii) In Deposit A/c	1,20,00,000	0	0	0				
(iii) In Savings A/c	24,64,59,365	0	15,19,61,719	0	**II. Payment made towards Funding for for Various Projects**	77,81,950	0	62,77,626
c) GEF Bank A/c	4,64,16,714	0	2,24,78,603	0				
d) CEBPOL Bank A/c	1,07,97,077	0	0	0				
II. Grants-Received:					**III. Investments / Deposits Made:**			
a) From Government of India (MoEF)	8,52,83,471	0	19,06,00,000	0	a) Out of Earmarked / Endowment funds	0	0	0
b) From State Government	0	0	0	0	b) Out of own Funds	0	0	0
c) From other Sources	0	0	0	0				
III. Income on-Investments from					**IV. Expenditure-on Fixed Assets & & Capital Work -in- Progress**			
a) Earmarked / Endowment Funds	11,17,000	0	0	0	a) Purchase of Fixed Assets	2,03,255	0	23,63,288
b) Own Funds (Other Investments)	0	0	0	0	b) Expenditure on Capital Work-in Progress	16,11,385	0	0
IV. Interest received					**V. Refund of Surplus money / Loans**			
a) On Bank S.B.A/c	80,96,496	0	67,62,633	0				
b) Loans, Advances, etc.	0	0	0	0	a) To the Govt.of India for CoP-11	0	0	11,43,709
V. Other incomes:					b) To the State Government	0	0	0
a) Application Fees	7,40,221	0	6,57,536	0	c) To other providers of funds	0	0	0
b) Royalty Fees	174	0	2,301	0				
c) 5% Benefit Sharing recd.from A.P.Forest Devt.Corporation Ltd.	18,83,01,918	0	15,49,65,145 0	0				
c) Miscellaneous-Income	0	0	0	0				
d) Sale of Newspapers	2,465	0	2,146	0	**VI. Finance - charges (Interest)**	0	0	0
e) Sale of Assets	0	0	0	0				
f) RTI filing fees	130	0	6,110	0				
VI. Amount - Borrowed			0	0	**VII.Other Payments** Security/Telephone Deposits/E.M.D.repaid	90,000	0	5,33,000

Receipts	Current Year: 2015-16		Previous Year: 2014-15		Payments	Current Year: 2015-16		Previous Year: 2014-15
	Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan		Plan	Non-Plan	Plan
VII. Other Receipts:					SBBs.Share of Royalty	0	0	0
Earnest Money / Security Deposit / Ret.Money recd.from Contractors	7,500	0	3,31,619	0	GIA for Strenghening of SBBs.	2,99,95,884	0	4,22,94,237
Tele.Deposit (Refund)	9,000	0	0	0	GIA for Constitution of BMCs.& PBRs.Preparation	3,43,85,474	0	10,17,00,416
NBA-CPF Bank A/c (A/c closed & the proceeds received)	0	0	4,72,005		NBA-CPF Bank A/c (A/c closed & proceeds paid to Ex-Chairman-NBA)	0	0	4,72,005
(Contributions recd.)	0	0	0		(Contributions Transfd.)	0	0	0
NBA Staff CPS Bank A/c (Contributions recd.)	0	0	0	0	NBA Staff CPS Bank A/c (Contributions Transfd.)	0	0	0
CEBPOL Project	1,27,69,075	0	1,42,01,298	0	CEBPOL Project A/c	51,98,195		32,32,717
GEF on NBSAP Project	0	0	27,62,664	0	GEF on NBSAP Project	0	0	0
GIA for ABS Dialogue Workshops at Goa	5,40,457	0	3,62,000	0	ABS Dialogue Meeting Expenses at Goa	51,283	0	8,51,174
CBD-HLP Meetings	0	0	1,94,973	0	CBD-HLP Meetings	0	0	0
GEF.Project A/c	2,21,37,720	0	4,97,95,097	0	CoP-11 Related Exp.	55,000		0
Refund unspent balance of Cop11	2,41,474	0	0		GEF.Project A/c	4,38,95,955	0	2,58,56,986
African TK Workshop	6,66,450	0	0		UNDP.Project A/c	0	0	0
					VIII. Closing – Balances			
					a) Cash in hand	50,000	0	50,000
					b) Bank Balances:			
					(i) In Deposit A/c	26,89,76,415	0	1,20,00,000
					(ii) In Savings A/c	10,46,05,636	0	24,64,59,365
					c) GEF Cash & Bank A/c	2,46,58,479	0	4,64,16,714
					d) CEBPOL Bank A/c	1,83,57,247	0	1,07,97,077
Total	**63,56,36,707**	**0**	**59,55,85,849**	**0**	**Total**	**63,56,36,707**	**0**	**59,55,85,849**

ACCOUNTS OFFICER

SECRETARY

CHAIRMAN

NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY
TARAMANI, CHENNAI -600113

Balance Sheet for the year ended 31st March, 2016

(Amount in Rs.)

CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Sch. No.	Current Year: 2015-16		Previous Year: 2014-15	
		Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
CAPITAL FUND	1	1,43,90,056	0	1,67,55,501	0
RESERVES AND SURPLUS	2	0	0	0	0
EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	3	37,45,72,573	0	16,86,90,880	0
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	0	0	0	0
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	0	0	0	0
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	0	0	0	0
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	1,56,30,571	0	9,59,77,719	0
TOTAL		**40,45,93,200**	**0**	**28,14,24,100**	**0**
ASSETS					
FIXED ASSETS	8	1,50,85,734	0	1,70,55,868	0
INVESTMENTS–FROM EARMARKED/ ENDOW MENT FUNDS	9	0	0	0	0
INVESTMENTS – OTHERS	10	0	0	0	0
CURRENT ASSETS,LOANS,ADVANCES ETC.	11	38,95,07,466	0	26,43,68,232	0
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (To the extent not written off or adjusted)			0	0	0
TOTAL		**40,45,93,200**	**0**	**28,14,24,100**	**0**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24				
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUN TS	25				

ACCOUNTS OFFICER **SECRETARY** **CHAIRMAN**

NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY
TARAMANI, CHENNAI -600113

Income and Expenditure Account for the year ended 31st.March,2016

(Amount in Rs.)

INCOME	Sch. No.	Current Year: 2015-16		Previous Year: 15	2014-
		Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
Income from Sales / Services	12				
Grants/ Subsidies: Rs.					
Grants received as per Sch.No.13 8,52,83,471	13	17,63,03,086	0	17,91,70,216	0
un utilized Grants for 2014-15 9,11,99,809					
Less: Capitalization of Fixed Assets-} during the year`2015-16 } (-) 1,80,194					
Net Income from Grants 17,63,03,086					
Fees / Subscription	14	0	0	6,57,536	0
Income from Investments (Income on Investments from Earmarked / Endowment Funds transferred to Funds)	15	0	0	10,76,783	0
Income from Royalty, Publication etc.	16	0	0	15,49,67,446	0
Interest Earned	17	41,50,548	0	65,17,315	0
Other Income	18	2,595	0	8,256	0
Increase / (decrease) in stock of Finished goods and works in-progress	19	0	0	0	0
TOTAL (A)		**18,04,56,229**	**0**	**34,23,97,552**	**0**
EXPENDITURE					
Establishment Expenses	20	3,20,13,387	0	33,014,599.00	0
Other Administrative Expenses etc.	21	7,33,00,527	0	6,28,46,284	0
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	6,43,81,358	0	15,02,59,779	0
Interest	23	0	0	0	0
Depreciation as per Schedule 8		21,73,389	0	25,76,833	0
Loss on Sale of Assets		8,177	0	0	0
TOTAL (B)		**17,18,76,838**	**0**	**24,86,97,495**	**0**
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		85,79,391	**0**	9,37,00,057	**0**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	24 25				

ACCOUNTS OFFICER **SECRETARY** **CHIARMAN**

अध्याय 13

वर्श का वार्शिक योजना
रा"ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, चेन्नई

2016–17 के लिए वार्िक योजना

भारत के राष्ट्रीय जैवविविधता लक्ष्य तथा सीबीडी रणनैतिक योजना 2011–20 और ऐची लक्ष्य के साथ सामंजस्य में सुपुर्दगी को पूर्ति करते हुए 2016–17 के दौरान अपनाये जाने योग्य कुछ मुख्य कार्यों को राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण ने चिन्हित किया।

राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुसरण में, देशभर के एसबीबी तथा बीएमसीयों के नेटवर्क को सम्मिलित करके कार्यान्वयन के लिए एनबीए द्वारा निम्न गतिविधियों को अधिमान्यता प्रदान किया गया है।

1. देश में एसबीबी/ बीएमसी के संस्थानीय मेकनिसम को सुदृढ करना तथा बीएमसीयों के गठन के संबंध में राज्यों में पंचायती राज्य संस्थाओं के साथ विचार विमर्श करना, पीबीआरों की तैयारी और हितधारक स्तर में क्षमता निर्माण
2. देशभर में से विभिन्न क्वार्टस से प्राप्त इनपुट/ टिप्पणी पर आधारित करके बीएमसीयों का पुनरीक्षण
3. एसबीबीयों द्वारा दस्तावेजीकृत पीबीआर आंकडा के संकलन के लिए समान प्रारूप विकसित करने के लिए एनआईसी के साथ संयोग में पीबीआरों का डिजिटाइसेशन
4. बीडी अधिनियम की धारा 22(2) के अधीन प्रावधानों को कार्यान्वयन करने के लिए संघ राज्यों के प्रशासन के साथ विचार विमर्श तथा परामर्श
5. जागरूकता निर्माण तथा क्षमता निर्माण में सरकारी विभाग तथा सीएसओ, शैक्षिक, अनुसंधान संस्थाओं को नियुक्त करने वित्तीय सहायता
6. एलेक्ट्रानिक तथा प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के जरिये तथा एनबीए के त्रैमासिक न्यूजलेटर प्रसारण के जरिये सामूहिक आउटरीच तथा मोबालाइसेशन
7. बीडी अधिनियम की धारा 27 के अधीन राष्ट्रीय जैवविविधता निधि को उपयोग करने के लिए मार्गदर्शिका को विकसित करना और विदेशी एन्टाइटीयों द्वारा लाल सेन्डर लकडी के अभिगम के कारण सेएहसास किये लाभ आबंटन के लिए नीति
8. पेटेन्ट गतिविधियों के लिए जैविक संसाधनों के उपयोग का अनुवीक्षण तथा उल्लंघन कदमों को विराध करने के लिए कदम लेना
9. एबीएस अनुमोदनों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणालियों को लॉच करना
10. बीडी अधिनियम की धारा 40 के अधीन सामान्य रूप से व्यापार किये जानेवाले सामग्रियो (एनटीसी) को जैविक संसाधनों की सूची को आवश्यकता पर आधारित करके विस्तार करना

अध्याय 14

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ

14.1 जैवविविधता वित्तीय पहलु (बीआईओएफआईएन) – भारत, भारत सरकार– यूएनडीपी के अधीन ''प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजना को सुदृढ करना ''

युनाईटेड नेशन्स डेवलेप्मेंट प्रोग्राम (युएनडीपी), 31 देशों में जैवविविधता वित्तीय पहलु (बीआईओएफआईएन) नामक नये वैश्विक पहलु को पाइलेट कर रहा है। सीबीडी से ग्यारहवीं कांफरेन्स ऑफ पार्टीस (सीओपी) के सिफारिशें पर इस पहलु को स्थापित किया गया। बीआईओएफआईएन पहलु पूर्व व्यय मापन के लिए नये तौर तरीका का रूपरेखा, राष्ट्रीय जैवविविधता रणनीतियों तथा कार्यकारी योजनाओं पर आधारित भविष्य के आवश्यक निवेश का आकलन तथा राष्ट्रीय तौर पर उपयुक्त संसाधन एकत्रण रणनीतियों के कार्यान्वयन को विकसित करने तथा लॉच करने पर केन्द्रित है।

भारत में बीआईओएफआईएन का नेतृत्व पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) के नेतृत्व में है। इस पहलु को उत्तरखंड तथा महाराष्ट्रा के राज्य जैवविविधता बोर्डों के साथ कार्य करते रहुए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण द्वारा हॉस्ट किया गया है। वाइल्डलाइफ इंस्टि्टयूट ऑफ इंडिया (डब्ल्यूआईआई) तथा नेशनल इंस्टि्टयूट ऑफ पब्लिक फाइनेन्स अण्ड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) द्वारा तकनीकि सहायता प्रदान किया गया है। एमओईएफ औरसीसी के मार्गदर्शन के अधीन कार्यक्रम को यूएनडीपी व्यवस्थित करता है। संबंधित मंत्रालयों से प्रतिनिधियों के साथ एक स्टीरिंग समिति इस कार्यक्रम का निगरानी रखता है और एमआईईएफ और सीसी द्वारा गठिन एक तकनीकि सलाहकार दल (टीएजी) बीआईओएफआईएन पहलु के लिए तकनीकि मार्गदर्शन प्रदान करता है।

जुलाई 13, 2015 को जैवविविधता वित्तीय पहलु (बीआईओएफआईएन) के तकनीकि सलाहकारी दल का प्रथम बैठक पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में आयोजित किया गया था। इस बैठक में मुख्यतः परियोजना को आगे बढाने में दोनों तकनीकि सहभागी वाइल्डलाइफ इंस्टि्टयूट ऑफ इंडिया (डब्ल्यूआईआई) तथा नेशनल इंस्टि्टयूट ऑफ पब्लिक फाइनेन्स अण्ड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) द्वारा अपनाये गये तौर तरीकों पर विचार किया गया। बीआईओएफआईएन कार्यक्रम को स्पष्ट करते हुए तथा पूर्व में तैयार किये गये एसबीएसएपीयों को संदर्भित करते हुए, अद्यतन किये गये राष्ट्रीय जैवविविधता कार्यकारी योजना (एनबीएपी) और राष्ट्रीय जैवविविधता लक्ष्यों (एनबीटी) के बारे में तथा राष्ट्रीय जैवविविधता लक्षयों के बारे में उन्हें सूचित करते हुए इसके अनुसार कार्यवाहियों को प्राथमिकता देने विनती करते हुए, सभी राज्य जैवविविधता बोर्डों को सूचित करने के लिए विचार विमर्श किया गया ।

उपरोक्त के अनुवर्ती में, एनबीए, एमआईईएफ और सीसी तथा यूएनडीपी के सक्रिय समर्थन के साथ डब्ल्यूआईआई ने एमओईएफ औरसीसी, नई दिल्ली में जनवरी 14–15 को बीआईओएफआईएन राष्ट्रीय हितधारक बैठक आयोजित किया था। मार्च 13–14, 2016 को तथा अप्रेल 5, 2016 को बीआईओएफआईएन के अधीन दो पाइलेट राज्य, दोनों महाराष्ट्र तथा उत्तरखंड में केन्द्रीय तथा राज्य स्तर में संबंधित कार्यक्रम के मूल्यांकन तथा बीआईओएफआईएन तौर–तरीकों के पुनरीक्षण हेतु बीआईओएफआईएन सहभागियों का बैठक आयोजित किया गया था।

14.2 जैवविविधता नीति तथा विविध के लिए केन्द्र (सीईबीपीओएल)

जैवविविधता नीति तथा विधि के लिए केन्द्र (सीईबीपीओएल), राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जैवविविधता से संबंधित गवर्नन्स समस्याओं तथा अभिगम तथा लाभ आबंटन और परंपरागत ज्ञान पर जटिल वार्ता सम्मिलित करके जैवविविधता नीति तथा विधि पर भारत सरकार और नार्वे को समर्थन तथा सलाह प्रदान करने संबंधित उद्देश्य रखता है। इस केन्द्र परिरक्षण, संधारणीय उपयोग पर और उनके संबंधित अभिगम और लाभ आबंटन भागों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रभावी कार्यान्वयन में एनबीए को सहायता करना प्रस्तावित करता है।

2015 में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अंग के रूप में, सीईबीपीओएल दल के परामर्शदाताओं तथा फेलों के लिए तथा एनबीए में संबंधित संसाधन व्यक्तियों और एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार के लिए जून 15 सेस्स 19 तक नार्वे में अध्ययन दौरा आयोजित किया गया था। इस दौरा का उद्देश्य नार्वेजिय अनुभव तथा सीईबीपीओएल कार्य कार्यक्रम में थीमों से संबंधित संस्थानीय क्षमताओं में, विशेषतः अभिगम और लाभ आबंटन (एबीएस), इन्वेसिव एलियन प्रजाति (आईएएस), मल्टिलेटरल और एनवरायन्मेंटल समझौते (एमईए), जैविविधता, प्राकृतिक इन्डेक्स तथा क्षमता निर्माण के मेइनस्ट्रीमिंग से संबंधित गहरा इनसाइट देना था।

इस अध्ययन दारा ने 2015 के लिए पहचाने गये थीमों पर आपसी अध्ययन तथा अनुभव आबंटन व विचार विमर्श हेतु अवसर प्रदान किया। अध्ययन दौरा के दौरान, भारतीय दल ने नार्वेजिय पर्यावरण एजेन्सी (एनईए) में तथा अन्य संबंधित नार्वेजिय संस्थाओं में जैसे जलवायु और पर्यावरण मंत्रालय, फ्रिट्जॉफ नेनसेन इंस्टिट्यूट (एफएनआई), प्राकृतिक अनुसंधान के लिए नार्वेजिय इंस्टिट्यूट

(एनआईएनए) और नार्वेजिय बयोडायवर्सिटी इन्फर्मेशन सेन्टर (एनबीआईसी) में ऊपर उल्लिखित थीमों पर उपलब्ध क्षमता के बारे अपने ज्ञान को वृद्धि किया।

भारत में प्राकृतिक इंडेक्स पर पाइलेट स्टडी विकसित करने के लिए कार्यशाला भुवनेश्वर, ओडिसा में 'दन्यू मेरियन ' होटल में जनवरी 28 से 29, 2016 को आयोजित किया गया था। दो संबंधित क्षेत्र – चिलका झील, ओडिया तथा ग्रेट हिमालयी नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश का भारत के लिए प्राकृतिक इंडेक्स औजार को परीक्षण करने के लिए पाइलेट साइटों के रूप में पहचाना गया। इस कार्यशाला में, दो क्षेत्रों से विशेषज्ञ, प्राकृतिक इंडेक्स पर भारतीय विशेषज्ञ तथा सीईबीपीओएल दल के सदस्य, चयनित संकेतकों के लिए विवरण एकत्रित करने उपयोगित तौर–तरीकों पर तथा भारतीय परिदृश्य में प्राकृतिक इंडेक्स की उपयुक्तता पर विचार विमर्श में भाग लिये।

इस कार्यशाला के साथ साथ, द्वितीय पीएससी बैठक के निर्णयों के लिए अपनाये गये कार्यकलापों पर, वर्ष 2015 के दौरान सीईबीपीओएल और एनईए द्वारा अपनाये गये गतिविधियों पर और 2016 के लिए कार्य योजना पर विचार करने के लिए जनवरी 27, 2016 को सीईबीपीओएल के लिए कार्यक्रम स्टीरिंग समिति का तृतीय बैठक आयोजित किया गया।

14.3 यूएनईपी–जीईएफ–एमओईएफ और सीसी एबीएस

उसके अभिगम तथा लाभ आबंटन प्रावधानों पर केन्द्रीकरण के साथ जैविक विविधता अधिनियम तथा नियमों के कार्यान्वयन को सुदृढ करना ।

अभिगम तथा लाभ आबंटन (एबीएस) प्रावधानों के कार्यान्वयन के जरिये जैवविविधता परिरक्षण उपलब्धि प्राप्त करने में जैविक विविधता (बीडी) अधिनियम 2002 तथा नियम 2004 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के संस्थानीय, व्यक्तिगत तथा प्राणीकृत क्षमताओं को विकसित करना इस परियोजना का उद्देश्य है।

इस परियोजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) द्वारा भारत के 10 राज्य जैवविविधता बोर्डों जैसे आन्ध्र प्रदेश, गोआ, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और त्रिपुरा के साथ सहभागिता में किया जा रहा है।

बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया (बीएसआई), जूआलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (इजडएसआई), युनाइटेड नेशनल डेवलेप्मेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी), युनाईटेड नेशन्स युनिवर्सिटी– इंस्ट्टियूट फॉर अडवान्स्ड स्टडी इन सस्टेइनबिलिटी, ग्लोबल एनवरायन्मेंट फेसिलिटी (जीईएफ), युनाईटेड ने ानल एनवरायन्टमेंट प्रोग्राम – डिविशन ऑफ एनवरायमेंट लॉ अण्ड कन्वेंशन (यूएनईपी–डीईएलसी) द्वारा सहभागिता प्रदान किया जा रहा है।

परियोजना के अंशों में निम्न सम्मिलित है एबीएस के लिए संभाव्यता के साथ जैवविविधता कप पहचान और वन, कृषि तथा आध्र जमीनों में उनका मूल्यांकन

* जैविक विविधता अधिनियम के एबीएस प्रावधानों को कार्यान्वयनव करने के लिए औजार, कार्यप्रणाली, मार्गदर्शिकाएँ, फ्रेमवर्क का विकास
* एबीएस पर पाइलेटिंग व्यवस्था
* राष्ट्रीय स्तर में एबीएस प्रावधानों से संबंधित नीति तथा नियंत्रीणीय फेमवर्क का कार्यान्वयन और इससे अंतर्राष्ट्रीय एबीएस नीति समस्याओं की ओर अंशदान
* जैविक विविधता अधिनियम के एबीएस प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण
* सार्वजनिक जागरूकता को विकसित करना

प्रतिवेदित अवधि के दौरान, परियोजना के अधीन निम्न गतिविधियों को अपनाया गया

* शैक्षिकविद्, विभागीय अधिकारी, जैव संसाधन आधारित उद्योग तथा वैज्ञानिक संस्थाओं से प्रतिभागिता के साथ कर्नाटक, गोआ और त्रिपुरा राज्य में राज्य स्तर आर्थिक मूल्यांकन कार्यशालाएँ आयोजित किया गया।
* एबीएस से संबंधित विशिष्ट समस्याओं तथा राज्य में एबीएस मेकनिसम को कार्यान्वयन करते वक्त राज्य नियम और बोर्ड द्वारा प्राप्त विशिष्ट आवेदनों के विघ्न निवारण पर वार्तालाप करने के लिए तेलंगाना, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा में कानूनी सलाहकारी दल का गठन किया गया और बैठकें आयोजित किया गया।
* जैविक विविधता अधिनियम 2002 और नियम 2004 के अधीन जैवविविधता तथा अभिगम लाभ आबंटन में सरकार के संबंधित कानूनी व्यवस्था की मुख्यता पर विवरण प्रदान करने के लिए राज्य स्तर मीडिया कार्यशालाएँ आयोजित किया गया। कार्यशाला में एलक्ट्रानिक तथा प्रिंट मीडिया कर्मी भाग लिये।
* राज्यों में जैवविविधता प्रबंधन समितियों के सदस्यों के लिए अंतर–राज्य आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया ।
* बीज, जैवप्रौद्योगिकी, जैव–फार्मा, आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक, वैज्ञानिकों, प्रशासक, बाग प्रबंधक, लाइन विभाग, कानूनी दल, स्कूली विद्यार्थी और युवा जैसे सेक्टॉर को आच्छादित करते हुए केन्द्रीकृत दलीय बैठक परियोजना क्षेत्रों में उन्हें जैविक विविधता अधिनियम के साथ संवेदीकरण करने के लिए और अधिनियम के अधीन आवश्यक अनुपालन के लिए आयोजित किया गया।
* परियोजना के अधीन तैयार किये गये ज्ञान सामग्रियों को अनुवाद किया गया और कन्नड, कोंकणी, तेलुगु, कोकबरक में अनुवाद किया गया था और हितधारकों के बीच वितरण किया गया था।
* उनके अधिकार क्षेत्र में अधिनियम को कार्यान्वयन करते वक्त बीएमसी के सदस्यों की भूमिका तथा जिम्मेदारीयों के बारे में, अभिगम के लिए स्वीकृति, पीबीआर दस्तावेजीकरण, बुक कीपिंग तथा उनके क्षेत्रों में कार्यालय प्रबंधन प्रणालियों से जैव

विविधता प्रबंधन समिति सदस्यों को सुग्राही बनाने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया।

* परियोजना राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में जैव संसाधनों के साथ संबंधित परंपरागत ज्ञान को दस्तावेजीकृत करना, जैव संसाधन के साथ संबंधित परंपरागत ज्ञान को दस्तावेजीकृत करने के लिए समूह के लिए आयोजित विशेष कार्यक्रम के साथ अपनाया गया।

* श्री एर्शिन एसेन, टॉस्क मैनेजर, यूएनईपी–जीईएफ, नैरोबी के साथ परियोजना प्रबंधक, यूएनईपी–जीईएफ, एनबीए का गुजरात में क्षेत्रीय दौरा अपनाया गया । इस दौरा के दौरान, भारत में सांविधिक प्रणालियों के बारे में, दस्तावेजीकृत पीबीआर, समूह द्वारा विकसित जैवसंसाधान आधारित सामग्रियों और परियोजना के अधीन गठित क्षेत्रीय जैवविविधता निधि संबंधित विवरण टॉस्क मैनेजर को अभिविन्यस्त किया गया ।

* परियोजना के लिए पॉचवीं परियोजना स्टीरिंग समिति (पीएससी) अक्तूबर 2015 के दौरान आयोजित किया गया जिसमें परियोजना के अधीन गतिविधियों को सराहना प्रदान किया गया।

* संपूर्णतः 314 जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया गया, लगभग 258 क्षेत्रीय जैवविविधता निधियों का गठन किया गया, 66 जैवविविधता पंजियों को दस्तावेजीकृत किया गया और 94 एबीएस आवेदनों को हस्ताक्षरित किया गया और परियोजना राज्यों में सांविधिक राज्य जैवविविधता निधियों में लगभग 2.24 करोड रुपये वसूला गया।

परियोजना द्वारा प्रतिभागित तथा आयोजित विशेष घटनाएँ

- राज्य पर्यावरण तथा वन मंत्रियों के कांफरेन्स उद्घाटन में भाग लिया और दिल्ली में इस कार्यक्रम के साइडलाइन में 'जैवविविधता ग्रीन हेट– 2015' आयोजित किया गया था जहॉ हितधारकों के बीच परियोजना पर विवरण तथा ज्ञान सामग्रियों को आबंटन करने के लिए प्रदर्शन स्टॉल लगाया गया।

- मैसूर विश्वविद्यालय, कर्नाटक के परिसर में आयोजित 103वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस में बीडी अधिनियम और एबीएस प्रावधानों के बारे में ज्ञान को आबंटन करने के लिए एक प्रदर्शन स्टॉल को स्थापित किया गया

- गउहाती, असम में वाइब्रेट नार्थ–ईस्ट 2016 कार्यक्रम के दौरान आगन्तुकों के बीच एक प्रदर्शन स्टॉल स्थापित किया गया और ज्ञान सामग्रियों का आबंटन किया गया। इस कार्यक्रम को उत्तरपूर्वी क्षेत्र में पॉच जैवविविधता बोर्ड और एनबीए द्वारा संयुक्त तौर पर आयोजित किया गया।

- मान्ट्रीयल, केनडा में जैविक विविधता पर कन्वेन्शन के संबंधित प्रावधानों तथा परिच्छेद 8जे पर अडहॉक ओपन एन्डड वर्किंग ग्रूप के नौवीं बैठक में परियोजना अनुभवों को आबंटन करने के लिए एक साइड–इवेन्ट का आयोजन किया गया ।

अनुलग्नक 1

सिटिजन चार्टर

1.1 दृष्टिकोण

भारत के संवृद्ध जैवविविधता तथा संबंधित ज्ञान का, जन सहभागिता के साथ, परिरक्षण तथा संधारणीय उपयोग, वर्तमान तथा भविष्य के पीढियों के कल्याण के लिए लाभ आबंटन की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना

1.1 मिशन

जैवविविधता का संरक्षण, उसके भागों का संधारणीय उपयोग तथा आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों का न्यायसंगत और उचित आबंटन हेतु जैविक विविधता अधिनियम 2002 तथा जैविक विविधता नियम 2004 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।

1.2 अध्यादेश

भारत के जैव–संसाधनों पर प्रभुत्व अधिकारों को पुनःपुष्टि करना तथा जैव–संसाधनों तथा/या संबंधित ज्ञान के दुर्विनियोजन को रोकने की ओर अंशदान प्रदान करना ।

परिरक्षण, उसके भागों का संधारणीय उपयोग, जैविक संसाधनों के उपयोग में से प्राप्त लाभों का न्यायसंगत आबंटन संबंधित समर्थन तथा नीति प्रदान करना

मार्गदर्शिकाओं के निर्माण, जैविक संसाधनों से तथा हितधारकों से अभिगम हेतु, सामग्रियों का विस्तार तथा जैविक विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के साथ अनुपालन में न्यायसंगत लाभ आबंटन द्वारा गतिविधियों को नियंत्रित करना

अन्य देशों के व्यक्तियों को बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करने से या भारत के किसी जैविक संसाधनों से या भारतीय मूल के ऐसे जैविक संसाधनों के साथ संबंधित ज्ञान से अभिगम प्रदान करने से विरोध करने कदम लेना।

उनके क्षेत्र विशिष्ट जैवविविधता के संबंध में तथा पैतृक क्षेत्रों को अधिसूचित करने में तथा उनके प्रबंधन तथा संधारणीय उपयोग हेतु राज्य सरकार को सलाह देना। उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के अधीन आनेवाले क्षेत्रों में जन जैवविविधता पंजी (पीबीआर) तैयार करने में जैवविविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) को मार्गदर्शन, तकनीकि तथा वित्तीय समर्थन प्रदान करना ।

जैविक विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वयन करने के लिए आवश्यक अन्य ऐसे कार्यकलापों को निष्पादित करना।

1.3 हितधारक

जैव विविधता, विविध गतिविधियॉं, पहलु तथा हितधारक सम्मिलित एक बहुविषयक विषय है। जैविक विविधता के हितधारकों में केन्द्रीय

सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य, पंचायत राज संस्थान, सिविल सोसाइटी संगठन, उद्योग, एनजीओ, अनुसंधान तथा विकास संस्थाएँ, विश्वविद्यालय तथा अधिकतम आम जनता सम्मिलित है।

1.4 प्रदत्त सेवाएँ

जैवविविधता परिरक्षण तथा उसकी संधारणीय उपयोग का प्रोन्नयन। राज्य जैव विविधता बोर्ड तथा जैवविविधता प्रबंधन समितियों के गतिविधियों का समन्वयन, तकनीकि मार्गदर्शन प्रदान करते हुए तथा जैसे आवश्यकता हो अध्ययन शुरू करते हुए, अध्ययन को तथा एडेप्टिव / प्रचालनीय जॉच पडताल का प्रायोजन करना।

जैवविविधता परिरक्षण, उसके अंशों का संधारणीय उपयोग तथा जैविक संसाधनों के लाभों का न्यायसंगत आबंटन से संबंधित विषयों पर भारत सरकार को सलाह देना। भारत में घटित जैविक संसाधनों या संबंधित ज्ञान से अभिगम के लिए, अनुसंधान परिणामों के अंतरण हेतु, बौद्धिक अधिकार मॉगने, अनुसंधान के लिए या वाणिज्यिक उपयोग के लिए या जैव–संरक्षण या जैव उपयोग के लिए अभिगमित जैव–संसाधन का तृतीय दल अंतरण हेतु अनुमोदन प्रदान करना।

सभी हितधारकों का जैव–संसाधन से अभिगम सुविधाजनक बनाना और पारदर्शी तरीके में जैवविविधता का उपयोगकर्ता तथा परिरक्षक के बीच लाभसंगत आबंटन सुनिश्चित करना।

1.5 शिकायतों का निवारण मेकनिसम

प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकारण ही शिकायत निवारण के लिए अभिहित अधिकारी है। किसी भी शिकायत को निम्न नाम से संबोधित कर सकते है:

प्रशासनिक अधिकारी

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण,

टीआईसीईएल बयो पार्क

पॉचवीं मंजिल, सीएसआईआर रोड, तरमणि

चेन्नई 600 113

दूरभाष : 044-2254 2777, 1075 विस्तार : 27

फेक्स : 044-2254 1200

ई मेल : admn@nba.inc.in

1.6 नागरिक / ग्राहक से अपेक्षाएँ

जैविक विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अनुपालन तथा प्राकृतिक संसाधनों के परिरक्षण भाव को आत्मसात तथा प्रोन्नत करना और प्रकृति कानूनों के लिए आदर देना तथा मानव हित में एनबीए और एसबीबीयों द्वारा उपरोक्त गतिविधियों को अपनाये जाने के लिए सहयोग विस्तार करना।

अनुलग्नक 2 प्राधिकरण का सदस्य

जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 8 (4ए) के अनुसार प्राधिकरण का सदस्य निम्न है:

अध्यक्ष	अवधि
श्री हेम पांडेय, आई.ए.एस अतिरिक्त सचिव एमओईएफ और सीसी	फरवरी 6, 2014 से
डॉ बालकृष्ण पिसुपति	अगस्त 12, 2011 से फरवरी 5, 2014 तक
श्री एम.एफ. फरूखी, आई.ए.एस	नवंबर 11, 2010 से अगस्त 11, 2011
डॉ पी.एल. गौतम	दिसंबर 31, 2008 से नवंबर 3, 2010 तक
श्री पी.आर. मोहंती, आईएफएस	अक्तूबर 1 2008 से दिसंबर 31, 2008
श्री जी.के. प्रसाद, आईएफएस	मई 20, 2008 से सितंबर 30, 2008
डॉ एस. कण्णैयन	मई 20 2005 से मई 19, 2008
श्री विश्वनाथ आनंद, आईएएस	अक्तूबर 1, 2003 से जुलाई 14, 2004

धारा 8 (4बी, सी) के अनुसार प्राधिकरण का वर्तमान पदेन सदस्य निम्नलिखित है।

क्रम	पदेन सदस्य	द्वारा प्रतिनिधित
1	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव या समान श्रेणी का अधिकारी	श्रीमती निवेदिता, आईओएफएस, निदेशक, जनजातीय कार्य मंत्रालय शास्त्री भवन, डॉ राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली – 110 001.
2	अपर महानिदेशक(वन), पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, भारत सरकार	श्री ए.के. श्रीवात्सवा, आईएफएस वनों के अपर महानिदेशक, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण वायु ब्लाक, द्वितीय मंजिल, जोर बाग रोड, नई दिल्ली.
3	पर्यावीण व वन मंत्रालय में विषय के साथ व्यवहार करनेवाले भारत सरकार के संयुक्त सचिव	श्री बिश्वनाथ सिंहा, आई.ए.एस, संयुक्त सचिव, पर्यावरण व वन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, द्वितीय मंजिल, जोर बोग रोड, नई दिल्ली 110003
4	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, कृषि मंत्रालय में इस विषय के साथ व्यवहार करनेवाले भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य श्रेणी का अधिकारी	श्री अटणु पुर्कायास्था, आई.ए.एस. संयुक्त सचिव (बीज), कृषि तथा सहकारिता विभाग, कमरा सं.244, कृषि भवन, डॉ राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110 001

5	जैवप्रौद्योगिकी विभाग में इस विषय के साथ व्यवहार करनेवाले भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य श्रेणी का अधिकारी	डॉ रेणु स्वरूप, सलाहकार, जैवप्रौद्योगिकी विभाग, सीजीओ काम्प्लेक्स, ब्लाक सं.2, लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003
6	समुद्री विकास विभाग में इस विषय के साथ व्यवहार करनेवाले भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य श्रेणी का अधिकारी.	डॉ पी. मादेस्वरन, निदेशक, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ब्लाक –12, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003
7	कृषि और सहकारिता विभाग मे इस विषय के साथ व्यवहार करनेवाले भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य श्रेणी का अधिकारी	डॉ स्वपन कुमार दत्ता, उपमहानिदेशक (फसल विज्ञान), फसल विभाग संभाग, आईसीएआर, कृषि भवन, नई दिल्ली 110 001
8	आयुष विभाग में इस विषय के साथ व्यवहार करनेवाले भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य श्रेणी का अधिकारी	श्री जितेन्द्र शर्मा, आईएफएस मुख्य कार्यकारी अधिकारी राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड, आयुष विभाग, स्वास्थ्य व पारिवारिक कल्याण मंत्रालय, तृतीय मंजिल, आयुष भवन, बी ब्लाक, जी.पी.ओ काम्प्लेक्स, आई.एन.ए, नई
9	अंतरिक्ष तथा प्रौद्योगिकी विभाग में इस विषय के साथ व्यवहार करनेवाले भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य श्रेणी का अधिकारी	डॉ बी. हरिगोपाल सलाहकार, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, तकनॉलजी भवन, नई मेहरौली रोर्ड, नई दिल्ली 110 016
10	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग में इस विषय के साथ व्यवहार करनेवाले भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य श्रेणी का अधिकारी	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तकनॉलजी भवन, नई मेहरौली रोड, नई दिल्ली 110016 (कोइ पदाधारी नहीं है)

गैर–अधिकारिक सदस्य (अक्तूबर 17, 2013 से अक्तूबर 16, 2016 तक)	
1.	डॉ एस. सुब्रमणियन, 54, वीजीपी, गोल्डन सी व्यू भाग–2, द्वितीय मेइन रोड 5वीं क्रास स्ट्रीट पालवाक्कम चेन्नई 600 041
2.	डॉ आर.एस. राणा, अध्यक्ष, बयो–लिंक डी–43, इन्द्रप्रस्था अपार्टमेंट्स सेक्टॉर 14, रोहिणी नई दिल्ली 110 025
3.	प्रो एम.के. रमेश, विधि प्रोफसर, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया नगरभवी बंगलूर 560 072
4.	डॉ बिस्वजित धर, अर्थशास्त्र प्रोफसर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 1 ब्लाक, 1796ए, चित्तरंजन पार्क नई दिल्ली 1101019
5.	रिक्त

जैविक विविधता नियम 2004 की धारा 9 के अधीन प्राधिकारी के लिए सचिव
श्री टी. रबिकुमार, आईएफएस, दि 2.4.2014 से

अनुलग्नक 3 – संगठनीय संरचना

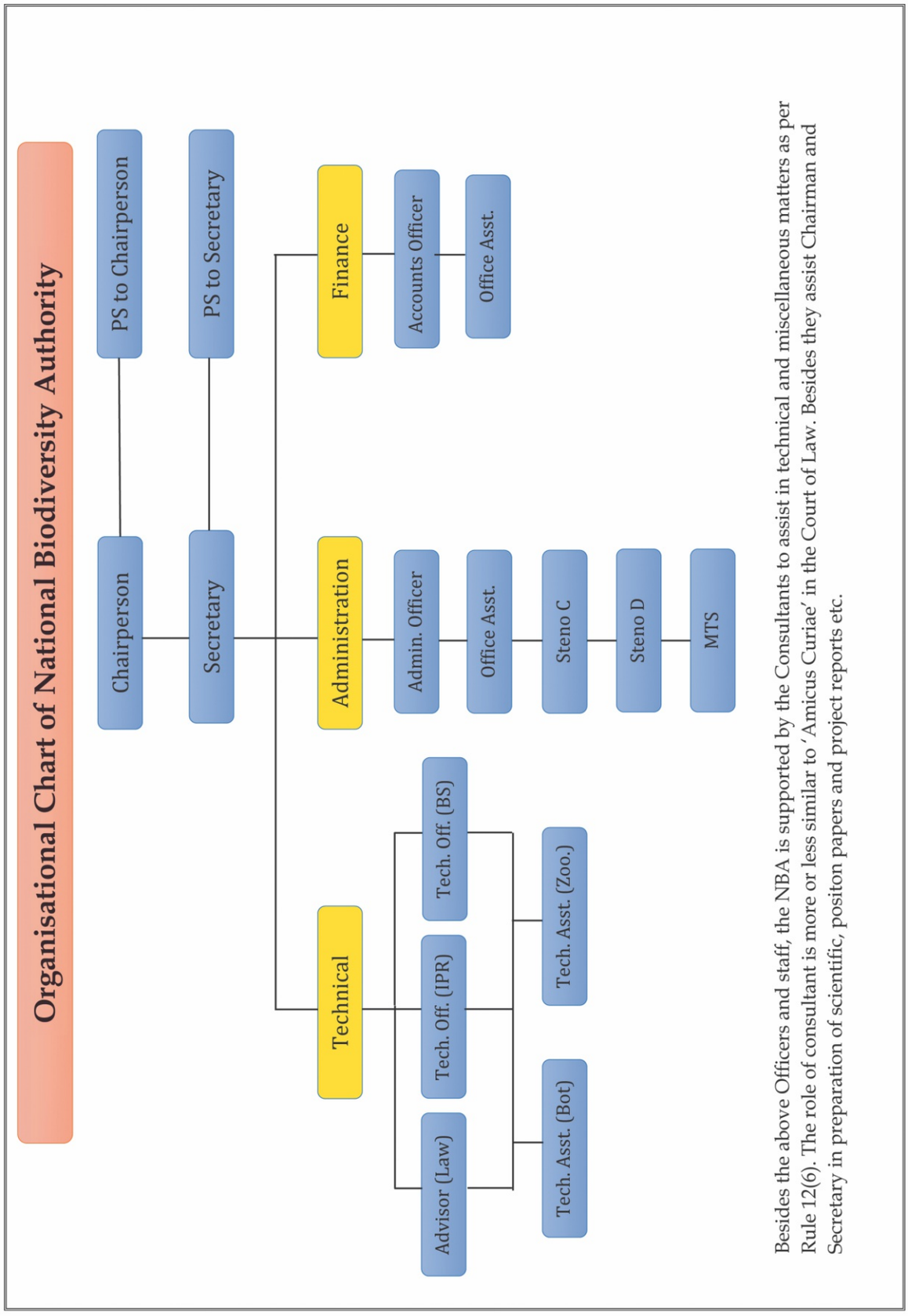

अनुलग्नक – 4 एनबीए में कर्मचारियों की संख्या

पद	स्वीकृत	नियुक्त	रिक्त
चेयरपर्सन	1	1	-
सचिव	1	1	-
चेयरपर्सन का निजी सचिव	1	1	-
सचिव का निजी सचिव	1	1	-
प्रशासनिक अधिकारी	1	1	
लेखा अधिकारी	1	1	-
तकनीकि अधिकारी	2	2	-
सलाहकार (कानून)	1	1	-
कार्यालय/ कम्प्यूटर सहायक	2	2	-
तकनीकि सहायक	2	2	-
आशुलिपिक 'सी'	1	1	-
आशुलिपिक 'डी '	1	1	-
चपरासी	1	1	-
कुल	16	16	-

Annexure to circular letter No. 173-Rep (AB)/27-84(I) dated 10.01.1999

PROFORMA

(Referred in paragraph 4.11 of the Manual of Instruction for Audit of Autonomous bodies)

Proforma on progress of Audit to be sent to the office of the Comptroller and Auditor General of India along with the audited accounts and Audit Reports.

Name of the Autonomous Body : **National Biodiversity Authority, Chennai**

1.	Date of submission of the accounts to the Audit by the Autonomous Body	23-06-2016
2.	Whether applicable, reasons for returning the accounts for revision indicating why the accounts could not be certified with qualifications	NA
3.	Date of submission of revised accounts to Audit where revision was considered essential	NA
4.	Date on which Audit was taken up and completed	23-06-16 to 29-06-16
5.	Date of issue of draft SAR to autonomous body for replies/comments	20-07-2016
6.	Date of receipt of replies/comment from autonomous body	19-08-2016
7.	19-08-2016	16-09-2016
8.	(a) Date of CAG's office letter communicating approval SAR	07-10-2016
	(b) Date of receipt of letter and approval at 8(a)	19-10-2016
9.	Date of issue of final Audit Report to Government of India/State Government /CAG's office English version/Hindi version	25/X/16
10.	Reasons for delay, if any at various stages	
11.	Date of presentation of the previous Audit Report before parliament/legislature (Whether the Audit Reports for previous years have not been placed, years to which these pertains, may also be indicated).	Information has been called for from the Auditee Institute .As and when the information is received ,the same would be furnished.

Principal Director of Audit,
(Scientific Departments)

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Biodiversity Authority, Chennai for the year ended 31 March 2016

1. We have audited the attached Balance Sheet of National Biodiversity Authority, Chennai as at 31 March 2016 and Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 29(2) of Biological Diversity Act. These financial statements are the responsibility of the National Biodiversity Authority, Chennai's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc., Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An Audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that

i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance, Government of India.

iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the National Biodiversity Authority, Chennai as required under Section 29(2) of Biological Diversity Act in so far as it appears from out examination of such books.

iv) Based on our audit, we further report that:

(A) Balance Sheet

A.1 Current Assets, Loans & Advances (Schedule 11)

The cheques amounting to ₹ 3.50 lakh issued under Authority account three months prior to 31.03.2016 were time barred. Authority, however has not reversed these time barred cheques. This has resulted in understatement of Current Liabilities and Bank Balance by ₹ 3.50 lakhs .

A.2. Understatement of Current assets

NBA maintained two Savings Bank accounts – one called "Authority account" and another named "Fund account". Audit check revealed that interest for the amount lying in the account was credited half yearly i.e., twice in a year once in June and other in December. Accordingly, for the "Authority account", an amount of ₹ 31.40 lakh and ₹ 10.11 lakh was taken into Cash book as interest in June 2015 and December 2015 respectively by NBA. Similarly, for " Fund account" , an amount of ₹ 21.19 lakh and ₹ 18.27 lakh was taken into Cash book as interest in June 2015 and December 2015, respectively by NBA. Thus, it is evident that amount of interest credited by bank did not include interest amount for the period from January 2016 to March 2016. NBA failed to get the amount of accrued interest worked out from the bank for the period from January 2016 to March 2016 and booked under current assets. This resulted in understatement of current assets as well as interest earned.

(B) General

NBA did not make provision for terminal benefits for the year 2015-16 in contravention of Accounting Standard 15 and instructions under Uniform Format of Accounts.

NBA in its Significant Accounting Policies under Schedule 24 stated that Government Grants/Subsidies are accounted on realization basis. This is not in order as the same needs to be accounted on accrual basis.

(C) Grants-in-aid

During the year 2015-16, NBA received grant-in-aid of ₹ 18.06 crore. This included unspent balance of ₹ 9.12 crore revalidated from previous year and out of the total available funds of ₹ 18.06 crore, NBA could utilize a sum of ₹ 16.97 crore leaving a balance of ₹ 1.09 crore as on 31 March 2016.

(D) Management letter

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of the National Biodiversity Authority through Management letter issued Separately for remedial/ corrective action.

v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts& Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in **Annexure I** to this Separate Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National Biodiversity Authority, Chennai as at 31 March 2016 and

b. In so far as it relates Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C& AG of India.

Place: New Delhi
Date: 25/X/16

Principal Director of Audit
Scientific Departments

Annexure- I

1. Adequacy of Internal Audit System

The Authority did not have their own internal audit wing. Internal Audit of NBA was conducted for the period from 2003-04 to 2008-09 during April 2009. For more than five years, no inspection was conducted by the administrative Ministry. Inspection Report pertaining to the period ending 2008-09 contained 21 paragraphs which are outstanding till date. This proved that internal audit mechanism was not effective.

2. Adequacy of Internal Control System

The internal control system is inadequate due to the fact that the Authority did not have its own internal audit set up and the external audit of Ministry was also not carried out since April 2009.

It was observed that out to grants released to 597 SBBs during the last ten years, UCs were received only in respect of 346 SBBs, leaving pendency of UCs from 251 SBBs for an amount of ₹ 29,03,31,032.

3. System of physical verification of fixed assets

NBA conducted physical verification of Assets items, stores and inventory during the year 2015-16. The surplus, damaged, unserviceable, old and obsolete items have been identified and are awaiting disposal.

4. System of physical verification of inventory

Physical verification of inventory had been carried out at regular intervals.

5. Regularity in payment of statutory dues:

The Authority was regular in payment of statutory dues.

25/4/16

Director (EA)

सत्यमेव जयते

मनीष कुमार

प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा
वैज्ञानिक विभाग
ए० जी० सी० आर० भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट
नई दिल्ली- 110 002
PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,
SCIENTIFIC DEPARTMENTS,
A.G.C.R. BUILDING, I. P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

सं.प्र.नि.वै.वि./पर्या./एस.ए.आर./एन.बी.ए.
–चैन्नई/2016–17/693 दिनांक: 25 OCT 2016

प्रिय, श्री कुमार

I have audited the annual accounts of National Biodiversity Authority, Chennai for the year 2015-16 and have issued the Audit Report thereof vide letter dated 25/X/16. During the course of audit, some deficiencies were noticed (as per Annexure A) which are not included in the Audit Report. These are being brought to your notice for remedial and corrective action.

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरि

Shri. T. Rabikumar, IFS,
Secretary,
National Biodiversity Authority,
TICEL BIO PARK,
5 th Floor, Taramani Road,
Taramani, Chennai-600 113

दूरभाष / Phone : 23702348 फैक्स / Fax : 91-11-23702353

Annexure – A

1. Utilization certificates

It was observed that out of grants released to 597 SBBs during the last ten years, UCs were received only in respect of 346 SBBs, leaving pendency of UCs from 251 SBBs for an amount of ₹ 29,03,31,032.

25/4/16.
Director (EA)

एनबीए के बारे में

भारत के जैविक विविधता अधिनियम (2002) को कार्यान्वयन करने के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण(एनबीए) को स्थापित किया गया। एनबीए एक सांविधिक, स्वायत्त बॉडी है और यह जैव संसाधनों के परिरक्षण, संधारणीय उपयोग संबंधित समस्याओं तथा जैविक संसाधनों के उपयोग में से प्राप्त लाभों के न्यायसंगत आबंटन पर भारत सरकार के लिए सुगम, नियंत्रणीय तथा सलाहकारी कार्यवाही को निश्पादित करता है।

जैविक विविधता अधिनियम (2002), जैवविविधता परिरक्षण, उसके भागों का संधारणीय उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग में से प्राप्त लाभों के न्यायसंगत आबंटन संबंधित विशयों पर केन्द्र सरकार को सलाह देने पर तथा राज्य सरकार को जैवविविधता मुख्यतावाले जगहों को चयन करने में, ताकि धारा 37 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें अधिसूचित कर सकें व ऐसे पैतृक क्षेत्रों के व्यवस्था के लिए कदम पर सलाह देने, एनबीए केन्द्रीकरण के साथ विकेन्द्रीकृत प्रणाली के जरिये अधिनियम के कार्यान्वयन का अधिदेश देता है ।

राज्य जैवविविधता बोर्ड (एसबीबी), जैवविविधता परिरक्षण, उसके भागों का संधारणीय उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग में से उत्पन्न लाभ का आबंटन से संबंधित विषयों पर, केन्द्र सरकार द्वारा जारी किसी मार्गदर्शिकाओं के तहत, राज्य सरकारों को सलाह देने पर केन्द्रीकृत है ।

भारतीयों द्वारा किसी जैविक संसाधनों के जैव सर्वेक्षण या जैव उपयोग या वाणिज्यिक उपयोग के लिए विनती करते हुए या अनुमोदन प्रदान करते हुए भी एसबीबी नियंत्रित करता है। प्राचीनतम प्रजातियॉ, लोक किस्मों और कल्टिवर्स, पालतू स्टॉक्स और प्राणियों के पालन और सूक्ष्म जीवों के परिरक्षण को प्रोन्नत करने के लिए तथा जैविक विविधता से संबंधित ज्ञान को इतिवृत्त करना क्षेत्रीय स्तर जैवविविधता प्रबंधन समितियॉ का (बीएमसी) जिम्मेदारी है ।

चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित मुख्यालय के साथ एनबीए, प्राधिकरण, सचिवालय, एसबीबी, बीएमसी और विशेषज्ञ समितियॉ सम्मिलित संरचना के जरिये अधिदेश को डेलिवर करता हैं ।

एनबीए के स्थापन से, 29 राज्यों में एसबीबीयों के निर्माण को समर्थन प्रदान किया है और क्षेत्रीय स्तर में 37769 बीएमसीयों के स्थापन को सुगम किया है।

चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित मुख्यालय के साथ एनबीए, प्राधिकरण, सचिवालय, एसबीबी, बीएमसी और विशेषज्ञ समितियॉ सम्मिलित संरचना के जरिये अधिदेश को डेलिवर करता हैं ।

एनबीए के स्थापन से, 29 राज्यों में एसबीबीयों के निर्माण को समर्थन प्रदान किया है और क्षेत्रीय स्तर में 37769 बीएमसीयों के स्थापन को सुगम किया है।

National Biodiversity Authority

5th Floor, Ticel Bio Park, CSIR Road,
Taramani, Chennai - 600 113.
Tamil Nadu, India.
Tel: +91 44 2254 1075 | 2254 2777 | Fax: +91 44 2254 1200
Email: secretary@nba.nic.in | Website: www.nbaindia.org

recycle
When you have finished with this please recycle it

The Paper used in printing of this Report is chlorine free. We ensure that the pulp used in the manufacture of paper is dervied from environmentally certified forest.